साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार

Website: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9300755803, 9425125569
Phone Fax: +91 731 2530859

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 08 अंक 01 प्रति सोमवार इंदौर, 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2013 पृष्ठ 8 मूल्य 2/- रुपए

आखिर कोलगेट, 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले ने समय माया का यथार्थ सिद्ध ही कर दिया

प्र.मं. कार्यालय लाखों करोड़ रु. के भ्रष्टाचार का अड्डा

समय माया ने पूर्व के प्रकाशनों में प्रकाशित किया था कि भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और घोटालों का अड्डा हैं, जहां पर रोज लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाता है। हाल ही में जांच के परिणामों में सब स्पष्ट हो गया कि 2जी, 3जी, कोयला खदान आवंटन में प्रधानमंत्री कार्यालय की अहम भूमिका थी।

अभी भी हजारों घोटाले और भ्रष्टाचार की फाइलों पर किसी की नजर नहीं पहुंची है, जिसमें कृषि खाद, पेट्रोलियम आयात, जल, थल, नभ सेनाओं के लिए विमानों के कलपुर्जों, गोलाबारूद, मिसाइलों, जलपोतों उसके कलपुर्जो, गोला बारूद, पनडुबियों, तोप टैंको, मिसाइलों के जैसे हजारों प्रकार की सामग्री, हथियार आदि, ड्रग ट्रायल की खुली छूट, औषधियां, चिकित्सा सामग्री, चिकित्सा से जुड़ी मशीने, उपकरण, नागरिक विमानों उसके कलपुर्जों, हवाई अड्डों पर लगे सैकड़ों प्रकार की इलेक्ट्रानिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीनें, राडार्स, कम्प्यूटर्स, उससे जुड़ी सैकड़ों सामग्रियां यहां तक कि मेमोरी कार्ड चिप, केबल, मोबाइल, उससे जुड़े हजारों प्रकार के सारे उपकरण,

हजारों घोटालों को तो हवा भी नहीं लगी-जनधन का लाखों-करोड़ हजम

मशीनें, टावर्स पर लगे सारे उपकरणों, आटो इंडस्ट्रिज, हजारों प्रकार की रसायन, मशीने जो कपड़ा प्रिंटिंग आदि के आयाता, चाय, गेहूं, दाल, चावल, शक्कर, तेल, मसालों, पैक्ड फूड, सैकड़ों प्रकार का खाद्य पदार्थ, कॉफी, जड़ी बूटियां, अनेको प्रकार का खनिज, अयस्कों जिसमें लौह, तांबा, एल्युमिनियम, माइका, जस्ता से लेकर हीरे, पन्ने आदि रत्नों, आभूषणों, वाहन, कारें, बसों, वस्त्रों आदि हजारों वस्तुओं के निर्यात में भी मोटा कमीशन और लेन-देन के बाद ही आयाता-निर्यात की अनुमति दी जाती है। हाल ही में रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के भूमाफियाओं, कालोनाइजरों को उनकी वैध-अवैध कालोनियों पर बैंक लोन देने, कॉलोनी विकसित करने में भी अरबों रु. हजम करने के बाद बैंकों में जमा धन अरबों रु. डुबोने की तैयारी की गई। बड़े पूंजिपतियों को अरबों रु. का ऋण दिया जाता हैं, वो अरबपति अरबों करोड़ रु. बैंकों की जाते है। उन बैंको को डूबाने से बचाने के लिये उन बड़े लाखों-करोड़ रु. का व्यापार करने वाले पूंजीपतियों से वसूली की अपेक्षा बैंकों को ही हजारों करोड़ रु. का पैकेज दिया गया जो कि जनधन की शुद्ध बर्बादी थी। परमाणु समझौते, परमाणु ऊर्जा की राष्ट्र को जरूरत न होने के बाद भी हजारों करोड़ रु. का कमीशन डकारने के लिए ही किया गया जब सबसे पहले समयमाया डॉट कॉम और समाचार पत्र के प्रहार ने विपक्ष ने इस पर सरकार गिराने के लिए मतदान करवा दिया। हर वर्ष जो वित्तीय बजट बनाया जाता है, उस हर बजट में पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने उनके ही दृष्टिकोण से लाखों करोड़ के लाभ प्राप्ति के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसमें भी अरबों रु. की सौदेबाजी पहले तय हो जाती है।

(शेष पेज 6 पर)

अमेरिका दे जापान को अपनी सेना के विस्तार को पूरी छूट

चीन की सैन्य शक्ति पर नियंत्रण जापानीयों को छूट आवश्यक

जापान से ही चीन डरता है, जापान को छूट से अमेरिका और भारत को फायदा

द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने अपनी सैन्य शक्ति का जो प्रदर्शन किया था और अमेरिकी पर्ल हार्बर बंदरगाहर जो अमेरिका का सैन्य शक्ति का महत्वपूर्ण गढ़ था को नष्ट कर देने के बदले में ही अमेरिका ने अगस्त 1945 का हिरोशिमा और नागास्की पर परमाणु बम टपका दिए थे,जिसके परिणामस्वरूप जापानियों ने अमेरिका के सामने आत्म समर्णण कर दिया था, बदले में अमेरिका ने अपनी फौजे जापान में रख देने के साथ, जापान पर सेना रखने से प्रतिबंध कर उसकी रक्षा का जिम्मा अमेरिका ने ले रखा है। इस कारण से अमेरिकी प्रतिबंध के कारण जापान अपनी सेना नहीं रख सकता। इसका दूष्परिणाम यह हो रहा है कि चीन के हौंसले बुलदिंयों पर है। साथ ही वह भारत के साथ-साथ वह अमेरिका का रक्षा संस्थानों के लिए भी भारी चुनौती बन उभर रहा है। रूस के टुकड़ों और पतन के साथ ही अमेरिका को लगने लगा था कि विश्व में उसके चुनौती देने वाला कोई नहीं धरती पर। इसके विपरित चीन ने पिछले 60 वर्षों में न केवल तीव्रता से सैन्य विस्तार किया वरन वह अमेरिका के लिए भी चुनौती बन कर ही नहीं उभरा वरन उसने अमेरिका के हथियारों के बाजार को भी चुनौती देना शुरू कर दिया।

(शेष पेज 6 पर)

सर्वोच्च न्यायालय देखें कि क्या पर्याप्त साधन है

पीथमपुर में साधन ही नहीं, यु.का. की मिक नष्ट करने हेतु

रु. 200 करोड़ के खेल में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के रि. सचिव ने बाजी पलटी, निपटान पीथमपुर में

मप्र प्रदूषण फैलाओं मंडल और रामकी इंन्वापारो की रु. 8 करोड़ का अनुदान हजम करने के षड़यंत्रों का परिणाम है। साधन विहिन अवशिष्ट निपटान केन्द्र पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली में पदस्थ रहा प्रधान सचिव स्तर का बनर्जी, सेवानिवृत्ति के बाद इस रेमकी हैदराबाद में निर्देशक बन गया हैं, जिस रामकी इंफ्रा, इंवायरों आदि का वह विरोध करता था, उसका पालूत श्वान बनने के बाद अपनी पहुंच के चलते वही सर्वोच्च न्यायालय से उसे पीथमपुर में नष्ट करने का आदेश करवा लाया। वहां से आदेश होने के बाद उसने उस युनियन कार्बाइड की मिक गैस को नष्ट करने का कार्य मप्र प्रदूषण मंडल से छीन कर उद्योग विभाग को दे दिया गया है। पूरे खेल का ठेका रु. 200 करोड़ में मिलने के बाद रु. 50 करोड़ के टुकड़े फेंक कर मुंह की चौड़ाई के आकार नोटों का टुकड़ा फंसाकर सबसे मुंह बंद कर दिए गए। धीरे-धीरे मिक का तो विषैला कचरा इंदौर से बाहर बेटमा से पीथमपुर पहुंचाया जा रहा है। सारा प्रशासन और नेता भ्रष्टाचार की गंदगी चाटने में लगे रहकर उस कचरे के निपटान का आंख भींचकर देख रहे हैं।

(शेष पेज 7 पर)

वित्त मंत्रालय चिटाम्बर के बाप की जागीर नहीं

केन्द्र के सभी वित्तीय संस्थान दक्षिण भारतीयों के चंगुल में

बाप की जागीर मान जन-धन को लूटाकर कमीशन बटोरा जा रहा है

भारत के वित्त मंत्री पी.चिटाम्बर पेशे से वकील, नाम के अनुकूल काम भी शुद्ध शासकीय खजाने और जनता के साथ चीटिंग करना ही है। वर्तमान में भारत सरकार जिन वित्तीय संकटों से जूझ रही है, जिसमें मुख्यतः रुपये का भारी अनमूलन से लेकर बाजार में चारों तरफ भारी महंगाई, रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं तथा प्याज को काटने में आने वाले आंसू अब प्याज की खरीदी में बहने लगे है। इन सबके पीछे यही धूर्त चिदम्बरम ही बैठा है। सारा चक्कर मोटी कमीशनखोरी का है। समय माया ने डालर की बढ़ती कीमतों के बारे में पूर्व के प्रकाशनों में बताया था कि कैसे काला धन भारत में लाने वालों को जो कि डॉलर में जमा था,कैसे बढ़ी हुई कीमतों से मोटा कमीशन हजम कर लाभांवित किया गया, जबकि डालर लाने से किमतें गिरनी चाहिए थी इसके विपरित अर्थशास्त्र का मांग और आपूर्ति का नियम जो अपनी जगह स्थिर था, वरन इस नियम को विपरित दिशा में चलाने के लिए इस चिदम्बरम ने न केवल रिजर्व बैंक आफ इंडिया वरन राष्ट्र की सभी 30 से ज्यादा राष्ट्रीयकृत बैंकों को मुद्रा बाजार में डॉलर जो काले धन के रूप में भारत में आ रहा था उस अधिवय को न केवल कम करने वरन मुद्रा बाजार में डालर की कीमतें बढ़ाने के लिए बाजार में डालर खरीदने के लिए कहा गया। इसकी तैयारी चिदम्बरम ने, भूतपूर्व वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी के हटने के साथ ही करना शुरू कर दी थी। इसके लिए उसने हर राष्ट्रीयकृत बैंकों में अध्यक्ष और प्रबंध संचालक पदों पर दक्षिण भारतीय मित्रों के बैठाने से लेकर सभी बीमा कंपनियों इरडा अर्थात इंश्योरेंस रेग्युलेटरी प्राधिकरण तक में सभी दक्षिण भारतीयों को बैठा दिया गया है। रिजर्व बैंक में पहले सुब्बाराव गर्वनर थे, अब रघुराजन है। ये सभी दक्षिण भारतीय है। अधिकांश शातिर जालसाज अधिकारियों जो अपने आका के इशारों पर नाच सके और आका के लिए कमाई की व्यवस्था कर सके, करोड़ों रु. लेकर ही बैठाये जाते हैं। स्वाभाविक है, लोकतंत्र में चुनी हुई सत्ता के प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यों के विभागीय मंत्री से लेकर निगमों के पार्षद और पंचायतों के सरपंच तक सभी 5 वर्ष के मेहमान होते हैं।

(शेष पेज 3 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

दमनकारी सत्ता- कैसी स्वंतत्रता

लोकतंत्र हो या राजतंत्र सत्ता सदा से ही दमकारी रही हैं। भले ही लोकतंत्र में जनता द्वारा जनता को जनता के लिए सैद्धांतिक वाक्य केवल पुस्तकों तक ही सिमित हैं। सत्ता कहीं भी, कैसी भी हो, सत्ताधीश अपने लाभ और सुख-चैन के लिए जनता का दमन करती ही है, फिर वह भूत, वर्तमान और भविष्य कभी भी हो, विश्व के हर कोने में इस तथ्य का सत्यता को देखा और परखा जा सकता है।

विश्व में श्रेष्ठता दिखाने और विश्व में अपने आप को महान लोकतांत्रिक राष्ट्र समझने वाले अमेरिका को ही लें, रंगभेद, नस्लभेद के विरूद्ध चल रहा पिछले तीन सौ वर्षों का इतिहास यहा सिद्ध करता है कि वहां सत्ता किसी की भी हो या रही हो। गोरों का कालों के प्रति रंग भेद और नस्ल भेद वहां सत्ताधीश और शासन ही करता है। उसी का परिणाम है कि वहां पर भारतीय आवजकों को न केवल घोर अपमान और दमन वर्तमान में भी झेलना पड़ता है, वरन वहां के सत्ताधीश ऐसे घोर अपमान और दमन को मूकदर्शक बन सहमति प्रदान करते हैं, वरन वहां की न्यायप्रणाली भी ऐसे गोरों को खुलकर समर्थन, दंड देने में असमर्थ रहती है। इसी संदर्भ को हम अपने राष्ट्र में देखें तो हमारे यहां भी हम पाते है कि कैसे सत्ताधीश सत्ता के मद में चूर हो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग आमजन अपने विरोधियों के लिये करना, केन्द्रीय जांच ब्यूरों को अपना कांग्रेस जांच ब्यूरों को अपना कांग्रेस जांच ब्यूरो बना कर अपने विरोध करने वालों, बोलने वालों के लिये करना। भारत की जनता देख ही रही हैं, अपने कुकर्मो को दबाने, हिंदुओं के वोट न मिलने से बौखलाकर हिन्दू संस्थाओं को उनके पदाधिकारियों को बंदी बनाकर प्रताड़ित करने उनके साथ मारपीट कर उल्टा-सीध कहलवा कर पूरे हिंदुओं को दहशत में लाकर वोट बंटोरने आदि का कार्य पिछले 65 वर्षों से इस राष्ट्र में हो रहा है, जिसे रोकने वाला उसके विरुद्ध बोलने वाला भी कोई भी नहीं।

दमन, दमन की सीमा से बढ़कर अब कानूनों का रूप लेने लगा है, किसी भी कानून को इस राष्ट्र में लागू करने से पूर्व इस लोकतांत्रिक राष्ट्र में उसे जनता के सामने रखने और राय जानने की 65 वर्षों बाद भी अभी तक कोई व्यवस्था जानबूझकर इन कांग्रेसी गिद्धों ने इस लिये ही नहीं की। उनका दमनचक्र आम आदमी के समझ न आ सके और वो राष्ट्र की सत्ता को अपनी तरह से हांक कर देश को लूटते हुये हर अपने विरोधी, अपने विरोध में बोलने वालों, अपनों को वोट न देने वालों का घोर दमन कर सकें और उनकी आवाज और चीख भी कानूनों में गुम होकर रह जाये।

कांग्रेस अपने दमन, शोषण का कानूनी रूप देने के लिये सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा अधिनियम को न केवल तैयार कर चुकी है वरन हिन्दुओं के घोर शोषण और दमन के लिये अगले शीतकालीन सत्र में पुनः प्रस्तुति के लिये बेताब हो रही है, जो स्पष्टतः मुस्मिल वोटों को आकर्षित करने, राष्ट्र को सदा के लिये साप्रदायिकता की आग में झौंकने हिन्दु महिलाओं की अस्मिता को सरेआम नीलाम कर बिखेरने और उस पर हिन्दुओं को चुप करने का षड़यंत्र और हिन्दुओं का घोर दमन करने के लिये ही यह लागू किये जाने की तैयारी है।

आजादी के वक्त 3 करोड़ मुस्लिम अपनी गुणात्मक वृद्धि करते हुये राष्ट्र में 33 करोड़ से ज्यादा हो गये हैं। दूसरी और में भाजपा हो या कांग्रेस हिन्दुओं की जबरन नसबंदी करवाकर एक-दो बच्चों से ज्यादा नहीं होना चाहिये, जबकि मुस्लिम 5 बीवीयों से 50 बच्चे भी पैदा करें तो कोई कुछ नहीं बोल सकता। हिन्दुओं से सारे कर वसूले जाकर, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन आदि के लिये मुस्लिमों पर खर्च करने के लिये बेताब रहती है। सरकारें फिर राष्ट्र का प्रधानमंत्री मनमोहन, मुस्लिमों का, राष्ट्रीय स्त्रोतों पर पूर्वाधिकार बताकर क्या हिन्दुओं का, लाल किले की प्रचीर से दमन की घोषणा खुलेआम दमन करता हो तो इससे आशय स्पष्ट हैं कि सत्ताधीशों का अधिकार हैं, जनता का दमन करना चाहे वह लोकतंत्र हो या राजतंत्र। भारत के संविधान में समानता का मौलिक अधिकार है, पर उस जाति, रंगभेद, धर्म के नाम पर सत्ताधीश अपने वोटों की सत्ता की सीढ़ी की खातिर स्वयं ही घोर असमानता इसी लिये फैला रहे हैं। कानून बना रहे हैं। ये कैसा लोकतंत्र और उसकी स्वतंत्रता।

खाद्य एवं औषधि विभाग, सब महीना डकार कर चुप

मंत्री, नियंत्रक, निरीक्षक सभी टुकड़खोर तनखैय्या

राष्ट्र में जब से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 06, जो कि 5 अगस्त 11 लागू हुआ है, यथार्थ में वह बहुराष्ट्रीश कं. के एकाधिकारी व्यवसाय और लाभ की सुरक्षा का अधिनियम है। तब से जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा गौण हो चुकी है, अब राज्यों में खाद्य विभाग मात्र दरवाजे पर बंधे हुए पालतू श्वान की औकात में आ चुका है, जिसे ये बहुराष्ट्रीय कं. शॉपिंग माल्स, महीने का टुकड़ा डाल कर जो कि शासकीय वेतन के अतिरिक्त है, उनके प्रतियोगी छोटे व्यवसायीयों,दुकानदारों, उत्पादकों से लेकर किसानों तक को प्रताड़ित करने लिए उन्हजें इस खाद्य सुरक्षा अधिकारियों या खाद्य निरीक्षकों से लेकर वरिष्ठ खा.सु.अ. राज्य नियंत्रक, मुख्य विश्लेषक तक सब उनके ही इशारों पर नाचने वाले जो उनके रिश्वत रूपी वेतनखोर वैधानिक पैदल सेवक है।

जो उनके हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। वे जनता को पूर्ण रूप से नकली, मिलावटी, रसायनयुक्त पैक्ड खाद्य सैकड़ों गुना ज्यादा कीमतों पर इसी दम पर बैच पा रहे है कि वे इन सरकारी श्वानों को महीनी बांटते है। चाहे वह नियंत्रक डीडी अग्रवाल हो या जिलों के मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के रूप में बैठा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वभाविक है कि वे सभी अधिकारी टुकड़खोर इनकी नमक हलाली कैसे-कैसे, पूर्व में भी समय माया ने लिखा था कि ये कंपनियां अपना माल सैकड़ों गुना ऊंची कीमतों पर बैचने के लिए ही केन्द्र सरकार खरीद कर ये कानून लागू करवा रही है। उसकी हकीकत 8 वर्ष बाद सामने है, अब हालात ये है कि इन ब्रांडेड कं. तथा आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर बनाम युनीलीवर, रिलायंस, टाटा आदि द्वारा बिक्री किए जा रहे नमक, चाय से लेकर आलू चिप्स, चॉकलेट,बिस्कुट वो कितने भी स्तरहीन रसायनयुक्त, समय बाधित हो, उनके कोई नमूने नहीं लेता। उनके नमूने लेने पर नियंत्रक महोदय ने 95 कारण बताओं पत्र जारी कर दिए थे। हर बड़ी खाद्य निर्माता कं. नियंत्रक को ही लाखों रु. महीना दे देती है, इसलिए खाद्य निरीक्षक बनाम सुरक्षा अधिकारी बनाम कं. के पाले हुए श्वान उनके नाम का पैक्ड खाद्य आते ही दुम हिलाने लगते है।

सूचना के अधिकार में मांगी गई जानकारी से स्पष्ट होता है कि खाद्य निरीक्षकों ने कितने नमूने लिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार खा.सु.अ. जितेन्द्र सिंग राना ने मई में एक और अप्रैल में 1 नमूने लिए, अमित वर्मा ने अप्रैल में2, सुभाष खेड़कर ने अप्रैल में 3, मनीष स्वामी ने अप्रैल में तीन, वैशाली सिंग ने 5 नमूने अप्रैल में, ज्योति बघेल ने 6 अप्रैल में, हिमाली सोनापली ने मई में 7 नमूने लिए, मनीष स्वामी, अमित वर्मा, वैशाली सिंह, ज्योति बघेल, सुभाष खेड़कर आदि ने मई में एक भी नमूना नहीं लिया जबकि पूर्व के कानून में हर खाद्य निरीक्षकों को100-110 नमूने लेना आवश्यक था, अर्थात अब ये खाद्य अधिकारी केवल बहुराष्ट्रीय कं. के खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और लाभ के लिए कार्य करते हैं। अब शासन जिसमें केन्द्र और राज्य दोनों ही शामिल है। इन बहुराष्ट्रीय कं. की रखैल की तरह कार्य कर रहा है, अब यदि खासअ नमूने लेते भी है तो मात्र छोटी दुकानों और फैक्ट्रीयों से जहां पर किसी नेता का वरद हस्त न हो, केन्द्र और राज्य सरकारों को जनता के स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है, अब नकली मावा, घी, मिलावटी मिठाइयां, नमकीन, चॉकलेट, बिस्कुट, दूध, तेल, आटा आदि के नमूने लेने का कार्य अब लगभग समाप्त हो चुका है। पेकेज्ड फूड के नाम पर मनमानी

सभी बड़ी बहुराष्ट्रीय कं., मंत्री, नियंत्रक, उप संचालकों से लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को बांटती

कीमतों पर ये ब्रांडेड कं. महीना बांटकर इन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को न केवल जनता को लूट रही है वरन मिलावटी और घटिया और स्तरहीन माल परोसकर अपनीर दिन-दिन रात चौगुनी कमाई में लगी रहकर जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही है। जिस पर अब केन्द्र व राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों का कोई ठोस नियंत्रण नहीं हैं, सूचना के अधिकार में प्राप्त जानकारी से इसकी पुष्टि होती है। वैसे सूचना के अधिकार को विभाग में बैठे भ्रष्ट शूकरों की फौज कोई खास महत्व नहीं देती हैं। जबसे नियंत्रक के रूप में डीडी अग्रवाल बैठा है, तब से मुख्यालय में बैठे अधिकारी और कर्मचारी अपनी ढीढता का परिचय लगातार दे रहे हैं।सूचना के अधिकार में दिए गए पत्रों को जवान से हरामखोर श्वानों की फौज कभी भी समय से और पत्रानुसार नहीं देती, अपीलें हजम कर जाना अब इन शूकरों की आदत में शुमार हो गया हैं। ये ब्रांडेड कं. का लाखों रु. प्रतिमाह का हरामखोरी सेवा शुल्क के साथ हर नए खाद्य पदार्थ के पंजीयन का भी रु. लाखों में वसूलने में मुहियाना स्वभाविक है। इंदौर में भी सूचना के अधिकार में खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों की दैनिक डायरी मांगी गई थी। हरामखोर ने एक महीने का कार्य एक पन्ने पर तारीख डालकर हर तारीख के सामने कार्यालयीन कार्य लिखकर इतिश्री कर ली, अपील में जाने पर अपीलीय अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के सामने स्वीकार किया कि ये पन्ने बनाकर दिए गए हैं। जब डॉ. डागरिया, अपील अधिकारी के सामने यह बात की गई तो जवाब में कहा गया कि डेली डायरी गोपानीय है। उसकी कॉपी नहीं दी जा सकती जो कि स्पष्टतः जालसाजी पूर्ण और अपने कुकर्मों को छुपाने का षड़यंत्र था फिर इस विभाग को न तो अधिनियम में गोपनीयता की श्रेणी में रखा गया है। सच्चाई है कि ये ब्रांडेउ कं. का महीना खाने वाले उन्हीं कं. के क्षेत्रीय अधिकारियों की शिकायतों पर भी उनके प्रतियोगियों, छोटे व्यापारियों के ही नमूने लेकर औपचारिकतायें निभाते हैं। आईटीसी जैसी कं. ने अपनी सिगरेटों के बाजार को बढ़ाने तंबाखु गुटके पर प्रतिबंध लगवा दिया जबकि अभी भी विमल जैसे घातक गुटखे चारों तरफ पान वालों की किराना दुकानों पर खुलेआम बिक रहे हैं न केवल इंदौर-उज्जैन, देवास, धार, भोपाल वरन पूरे मप्र में जिस प्रपत्र में जांच प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां दी गई है। उसमें मुख्य विश्लेषक चतुर्भुज मीना के हस्ताक्षर हैं। ये मीना का मुख्यालय से जातीय प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता, गजट नोटिफिकेशन की प्रतियां मांगी गई थी, पिछले तीन-चार वर्षों से नहीं दी जा रही हैं। ये मुख्य विश्लेषक उज्जैन नगर निगम में था जिसे जुगाड़ से पूरे मप्र का विश्लेषक बनाकर पिछले 4 से ज्यादा वर्षों से मुख्यालय में बैठा कर 90 प्रतिशत नमूने लेन-देन कर धड़ल्ले से पास किए जा रहे है। प्रति नमूना रु. 5 से 20 लेकर, मात्र प्रतिदिन 15 से 25 नमूने भेजने वाले अधिकारी से लेकर नियंत्रक की भी हिस्सेदारी होती है। अधिकांश नमूने की जांच प्रतिवेदन केवल औपचारिकता की नौटंकी है, क्योंकि इस खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि. 06 हर तरीके से केवल बहुराष्ट्रीय कं. रूपी उत्पादकों की रक्षा करता है, यहां उपभोक्ता की कोई औकात नहीं। कं. मिलावटी रसायन युक्त, स्तरहीन, स्वास्थ्य हानिकारक कुछ भी पेक करके बेचें यदि नमूने राज्य की प्रयोगशाला में अपमिश्रित पाए भी जाए तो एक तो मुख्य रसायन, विश्लेषक ही लेन-देन कर सलटा ही रहा है। यदि फेल भी हुए तो वह राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद से लेन-देन कर पास करवा लेगा। यदि ये नमूने फेल करेगा तो विक्रेता और उत्पादक इन खा.सु.अ. के साथ ही मुख्य रसायन, विश्लेषक के साथ नियंत्रक को भी कुछ नहीं देगा इसलिए बेहतर है कि अपनी कमाई करो अर्थात महीना वसूली करों और खुश हो। जनता मरती है तो कल की मरती आज मरे। वही हाल इन औषधि निरीक्षकों की जालसाजियों का भी है, यहां भी बहुराष्ट्रीय कं. ने अधि. में संशोधन करवा कर पहले तो इनकी प्रतियोगी पूरे मप्र की सन 2000 से सन् 2007 तक लगभग 3000 छोटी-मोटी लघु इकाइयों को बंद करवाया जिसमें अकेले इंदौर और आसपास की 500 से ज्यादा ईकाइयों को बंद करवा दिया ताकि सस्ती प्रतियोगी दवाइयां न बिक सकें। अब बड़ी ब्रांडेड कं. आसानी से लागत से 10 से 20 गुना ज्यादा की मत पर रसायन युक्त जो जनता को बैच रही है। अब उसकी हकीकत सामने समाचार पत्रों में प्रकाशित होने लगी हैं। दूसरी और कमाई का 10-20 प्रतिशत यदि शासकीय श्वानों को महीने का बांट दिया जाए तो भी क्यां फर्क पड़ने वाला है।

सूचना के अधिकार में औषधि निरीक्षकों की डेली डायरी मांगी गई थी, दोनों बंदों ने दूर डायरी बनाकर एक पन्नें में बनाकर दे दी। दोनों ही यहां पर नियुक्ति लेने भी केवल 2000 से ज्यादा फुटकर दवा दुकानों से अपने-अपने क्षेत्र में केवल महीना वसूलने में विश्वास रखते हैं। नमूने लेना दुकानों पर फार्मासिस्ट है या नहीं, बैठता है की नहीं या किराये का ही चल रहा है। दुकान पर कौन-कौन औषधियां समय बाधित हो गई है, कौन-कौन सी औषधियां फ्रीज में रखी जानी चाहिए थी और खुले में पड़ी है। बिना पर्ची के कौन-कौन सी औषधियों जो नशीली है बिक्री हो रही है, कभी जांच नहीं की जाती। आखिर क्यों केवल अनुज्ञाति जारी करने और महीना वसूली के लिए ही बैठाये गए हैं। ओ.नि. अजय ठाकुर, अशोक गोयल और वृंदनानी, भोपाल से आने वाला औषधी निरीक्षकों का दल भी केवल नोट बटोरने ही इंदौर आता है, कितने रक्त बैंकों, नर्सिंग होम, अस्पतालों की सघन और अचानक जांच की गई, किसी को कोई मतलब नहीं।

प्याज तो बानगी है, हर खाद्य वस्तु का यही हाल होगा

रिलायंस, आईटीसी, बेस्ट प्राइस आदि सभी का उद्देश्य है नोंचना

राष्ट्र के सत्ताधीशों जो पंच वर्षीय आयु के अंतगर्त चुनकर आते हैं। उन्हें राष्ट्रहितों और जनहितों और उसके भविष्य से कभी कोई मतलब नहीं होता। उनका विशुद्ध उद्देश्य होता है, लूट सके तो लूट, पांच वर्ष बाद पछताएगा जब गद्दी जाएगी छूट। जनता को यह बात 65 वर्ष की आजादी के बाद अब समझ में आने लगी है। सन 2005 में कांग्रेस और उसके संप्रग गिरोह ने जो खाद्य सुरक्षा सुरक्षा की आड़ लेकर लागू कर दिया गया था। यथार्थ में में वह अधि. और उसकी हर धारा पूर्णतः जन विरोधी और बहुराट्रीय कं. अपने बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल से पूर्णतः नकली, कई गुना कीमत पर कैसा भी माल बैचे उनका इस राष्ट्र का कोई भी कानून बाल बांका नहीं कर सकता। इसके लिए पूर्व में जनहितों का ख्याल रखकर जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधि. 1954 था, एकाधिकारी प्रतिबंधात्मक व्यावसायिक गतिविधि अधि. 1970 आदि को पूर्णतः समाप्त कर, खुले में बहुराष्ट्रीय कं. तथा रिलायंस फ्रेश, आईटीसी के हरियाली, चौपाल, बेस्ट प्राइस, हिन्दुस्तान लीवर आदि को भंडारण अनाप-शनाप कीमतों पर माल की बिक्री की पूरी छूट दे रखी है। वर्तमान हालत ये है कि ये सब कंपनियां न केवल प्याज वरन किसी भी खाद्य वस्तुओं चाहे वो आलू, प्याज, दाले, अनाज, तिलहन आदि का सीधे किसानों के खेतों से लेकर वर्तमान में जीवित सब्जी, अनाज मंडियों से खरीदकर पूरे बाजार को खाली कर सकती हैं। पहले बाजार में भारी कमी पैदा कर जैसा कि प्याज हजारों टन खरीदकर जो रु. 2, 5 प्रति किलो से रु. 10 तक प्रति किलो की खरीदकर संग्रहण कर लिया गया। रिलायंस फ्रेश के पूरे भारत में 2000 से ज्यादा फुटकर बिक्री केन्द्र है। स्वाभाविक है उसने प्रति किलो रु. 50/- से रु. 70 तक कमाए। इसके विपरित न केवल राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार के मंत्री-संत्री कमीशनखोर के मुंह से इन बहुराष्ट्रीय कं. के विरूद्ध एक शब्द भी किसी नहीं निकाला। इसके विपरित चीन और पाकिस्तान से प्याज आयात कर ली गई इस प्रकार जनता को सस्ती प्याज उपलब्ध करवाने के प्रयास किए गए। वर्तमान में अंबानी बंधुओं, आईटीसी पूरे बाजार में माल खरीदकर 10-20 हजार टन माल भर दिया। जिस पर राष्ट्रीयकृत बैंकर्स भी हजारों करोड़ कर्जा दे देती हैं। फिर ये सभी अपनी बैंक भी खोल ही रहे हैं। अभी तो ये शॉपिंग माल बाजार प्राथमिक अवस्था में है। अभी तो मात्र प्याज खरीदर कीमतों से जनता को रूलाया है। ये सब डकैत तो रु. 10-20 हजार करोड़ से दाल-चावल, तेल, शक्कर खरीदकर रु. 50 किलो की दाल रु. 500 में रु. 40 की शक्कर रु. 400 में भी बेचेंगे तो भी कोई कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ पायेगा। सत्ताधीश टुकड़खोरों को तो टुकड़े डाल कर ये ही पाल रहे है। चाहे कांग्रेसी मनमोहन हो या भाजपाई शिवराज सिंह चौहान। पूंजीवादी शोषण का भारत प्रथम चरण है।

सभी दल कमीशनखोरी के दलदल में आकंठ लिप्त, सब चुप

केन्द्र के सभी वित्तीय संस्थान दक्षिण भारतीयों के चंगुल में

पेज 1 का शेष

सभी को5 वर्ष में अगले 50 वर्ष की या जो भी थोड़ी बहुत है उसके लिए इंतजाम करना होता है। सरपंच 1 लाख महीने की तो राष्ट्र का वित्त मंत्री रु. 1 लाख करोड़ प्रति माह वसूली कीर तैयारी में लगा रहता है। इसके लिए स्वाभाविक है, जन-धन को कैसे कहां से बटोरना है। राष्ट्र की बर्बादी से किसे लेना-देना है। जब-जब चिदम्बरम वित्त मंत्री बना इसने लूट के नए आयाम स्थापित किए। नरसिंह राव सरकार के समय 1990-94 तक भी यूनिट ट्रस्ट घोटाला, शेयर मार्केट, हर्षद मेहता कांड, हाउसिंग-प्लाटेंशन कांड आदि में आम जनता का इसी चीटर 40 लाख करोड़ डूबोकर हजम करवा दिया था, उन सब जालसाजियों और लूट का भी यही सरगना था। वर्तमान में महंगाई और प्याज की कीमतों में भी इसकी ही भूमिका मुख्य है। एक तरफ खाद्य वस्तुओं पर सट्टेबाजी करवाना दूसरी तरफ बहुराष्ट्रीय कं. तथा हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी, पारले, रिलायंस, वालमार्ट, बेस्ट प्राइस को बाजार से माल खरीदने के लिए हजारों करोड़ की साख सुविधाए देकर माल को बाजार से खरीदकर संग्रहित कर बाजार में ऐसी खास खाद्य सामग्री को संग्रहित करवा देना फिर 10 रु. किलो के प्याज को 80 रु. किलो बिकवाना। यह तो शुरूआत है, यदि छोटे व्यवसायी और दुकानदारों को जैसा कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिकार में व्यवस्था है कि हर माल पैकिंग करके दिया जाये और बेचा जायेगा, जिस दिन ये पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा उस दिन ये बहुराष्ट्रीय कं. रु. 40-50 प्रति किलों की तुअर दाल को रु. 500/- प्रति किलो बेचेंगे। बदले में पूरे देश में माल बेचने और लूट की पूरी छूट के हजारों करोड़ से रु. लाखों करोड़ का कमीशन केन्द्रीय और राज्यों के मंत्रियों को बिक्री क्षेत्र के पार्षदों, सरपंचों से लेकर जिलाधीशों तक को मासिक बंदी बांधकर जनता को दोनों हाथों से लूटा जाएगा। रिजर्व बैंक द्वारा नए राज्यपाल की नियुक्ति के बाद ब्याज की कीमतों रेपो रेट बढ़ाने का सीधा असर जनता की जेब पर ही पड़ेगा। बड़े व्यवसायी, पूंजीपति अपने लाभ को कम करने की अपेक्षा वह सीधे ही कीमत में बढ़ोत्तरी कर जनता की जेब से ही निकालेगा। राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंधन जैसा कि रिर्जव बैंक और वित्त मंत्रालय निर्देश देता है वे उसको पूरा करने के लिए बाध्य है, ये वित्त मंत्री जब मोटा कमीशन और मोटी वसूली कर ही अपने खास लोगों को प्रबंधन के शीर्ष पर बैठाकर अपनी उल्टी-सीधी नीतियों से घाटा पहुंचाकर गर्त में ढकेलते हैं। फिर उस घाटे को पूरा करने के लिए बैंकिंग उद्योग को रु. 16000 करोड़ का पैकेज दिया गया, जबकि बैंकिंग उद्योग में हर सेवा की कीमतों में पिछले 5 वर्ष में ही 10 गुना तक बढ़ोत्तरी कर दी गई, जिस चेक के अनादरण के रु. 50 लगते थे, अब रु. 500 से 800 काटे जाने लगे है। शासकीय जीवन बीमा निगम व अन्य प्रकार के जोखिम के कार्यो में सरकारी बीमा कं. को डुबोने उन्हें भारी भरकम भुगतानों को लूटने के चिकित्सा पालिसियों में तृतीय पक्षकार प्रशासक के नाम से 30 से 40 कं. ने पूरे भारत में झूठे बिलों, निजी चिकित्सालयों के नाम से अरबों रु. की क्षतिपूर्ति असली बीमा धारकों को बिना बताये हजमकर रही है। इसमें भी इस हरामखोर की ही भूमिका है। निजी बैंकों को खुलवाने के पीछे, राष्ट्रीयकृत बैंकों में निजी क्षेत्र से ठेके पर कार्य करवाने के पीछे भी गहरे षड़यंत्रों जनता के धन को लूटने, हजम करने, जालसाजी से निकालने की घटनाओं को रोकना तो बहुत दूर दिनो-दिन अरबों रु. की हेराफेरी, जालसाजियों से की जा रही है। जिसमें महाजालसाज, हरामखोर वहीं के अधिकारी और कर्मचारियों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग रहता है। यहां तक कि खाते में देय खाता नं. नाम लिखे चेकों तक की राशि ये राष्ट्रीयकृत बैंकों, स्टेट बैंक आदि तक में स्टाफ अपने खातों में जमा कर लेता है और यदि ग्राहक बोलता है या लिखकर देता है तो ये शूकरों की फौज मारापीटी पर उतारू हो जाती है। यहां तक कि रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में बैठा लोकपाल भी लेन-देन कर मामले रफा-दफा कर दिये जाते हैं। इन सब को नीचे से ऊपर वित्त मंत्रालय, मंत्री चिदम्बरम तक सभी चीटरों की फौज है तो बेचारा ग्राहक कहां जाए। फिर निजी बैंकों के खुलने पर ग्राहकों के साथ न केवल लूट होगी वरन अमेरिका कर तरह 10-20 वर्ष में जब रु. 2-5 लाख करोड़ की जनता की जमाये इकट्ठा हो जाएगी ये आसानी से दिवालिया होकर जनता का पैसा हजम कर लिया जावेगा। अभी जो थोक के भाव में बैंकिंग क्रं. लायसेंस दिये जा रहे है, रु. 25-50 से लेकर 1 अरब तक की रिश्वत खर्च करके ही बांटे जा रहे हैं। फिर जो अंबानी, टाटा, बिरला, महिन्द्रा, भारती व अन्य सभी जब लायसेंस लेने में ही करोड़ों-अरबों खर्च करेंगे आखिर भविष्य में क्या होना है ये सब अच्छी तरह जानते है। बीमा कं. का भी ये ही हाल हैं। बजाज एलियांस भी जनता का अरबों रु. हजम कर बीमा बाजार से गायब हो चुकी हैं, जबकि बजाज एलियांस पे कं. पंजीकरण करवाया परंतु व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र ही नहीं लिया था तो आखिर वित्त मंत्रालय और इरडा ने इस बीमा कं. को कैसे व्यवसाय प्रारंभ करने दिया। 5-7 वर्षों में जब जनता से अरबों रु. की प्रीमियम इकट्ठा कर ली तो ताले लगाकर गायब को चुके हैं। जब उनके एजेंट से पूछा तो वह महिला साफ पलट गई कि कौन सी बजाज एलियांस मैंने तो नाम ही नहीं सुना। आखिर पूरा वित्त मंत्रालय चिदम्बरम की बपौती है, क्योंकि बस कमीशन डकारों और भूल जाओं कि कौन क्या कर रहा है।

चने का बेहतर उत्पादन कैसे प्राप्त करें

परिचय : संपूर्ण विश्व के कुल चना उत्पादन में 70 प्रतिशत हिस्सा भारत का है। देश में चना उत्पादन में म.प्र. प्रथम स्थान पर है।

भूमि का चुनाव एवं तैयारी : चने की खेती क्षारीय भूमि को छोड़कर सभी प्रकार की मध्यम से भारी भूमि में की जा सकती है। खेत की तैयारी के लिए एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें। इसके बाद दो या तीन बार कल्टीवेटर चलाना पर्याप्त होगा। जुताई के बाद पाटा अवश्य लगायें।

बोनी का समय एवं किस्में : चने की बोनी का उपयुक्त समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर है। देरी से बोनी करने के लिए कम अवधि की किस्मों का चयन करें।

(अ) देशी बड़े दाने वाली किस्में : जैसे जवाहर चना-11(जे.जी.-11), जे.जी.-16, जे.जी.-130, आई.सी.सी.व्ही-37, विशाल (पी.जी. 87209), पूसा-391(बी.जी.-391) आदि।

(ब) देशी मध्यम अवधि में पकने वाली : जैसे जवाहर चना-63(जे.जी.-63), जे.जी.-74, जे.जी.-218, जे.जी.-226, जे.जी.- 315, जे.जी.-1, उज्जैन-21, वैभव धारवाड़ प्रगति, विजय आदि। ये किस्में उकटा निरोधक है।

(स) काबुली चना की मुख्य किस्में : जैसे जवाहर काबुली चना-1(जे.के.जी.-1), काक-2(पी.के.व्ही.-2), आई.सी.सी.व्ही-2, चमत्कार (बी.जी. 1053), पूसा शुभ्रा (बी.जी.डी.-128), पूसा 1003(बी.जी.-1003) आदि।

बीजोपचार : बीज जनित रोगों हेतु पहले 4-5 ग्राम ट्रायकोडर्मा बिरिडी एवं बाद में 5 ग्राम राइजोबियम कल्चर 5 ग्राम पी.एस.बी. कल्चर से प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करें। ट्रायकोडर्मा बिरिडी न मिलने पर थाईरम + कार्बन्डाजिम या थाईरम + बेनोमिल 2 : 1 के अनुपात में 2.5-3 ग्राम प्रति किलो बीज दर से बीजोपचार करें।

बीज की मात्रा एवं बुवाई की विधि : चना फसल का 30-40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ लगता है। देरी से बोने एवं दानों का आकार बड़ा होने पर 40 किलो तक बोया जा सकता है। चने में कतार से कतार की दूरी 30-40 सें.मी. तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सें.मी. रखना चाहिए। जमीन में 6 से 8 सें.मी. गहराई पर (जहां नमी हो) बोनी करें।

फसल चक्र : चना- मक्का, चना - ज्वार, चना- कपास आदि।

अन्तरवर्तीय फसल : चने के साथ अन्तरवर्तीय फसलें लेने से कीट - व्याधियों का प्रकोप कम होता है। चना - सरसों, चना - गेहूँ, चना - कुसुम एवं चना - सूर्यमुखी (6:2 कतार अनुपात) तथा चना - अलसी (6:4 कतार अनुपात) आदि अन्तरवर्तीय फसलें लाभप्रद पायी गई है।

रासायनिक उर्वरक : उतेरा फसल हेतु धान की फसल को 8 किलो/एकड़. अतिरिक्त स्फुर देवें। सिंचित फसल में 8 किलो नत्रजन, 20 किलो स्फुर देवें अथवा 40 किलो डी.ए.पी. प्रति एकड़ देवें। असिंचित फसल को 4 किलो नत्रजन व 12 किलो स्फुर (26 किलो डी.ए.पी.) प्रति एकड़ देवें। उर्वरक को कूड़ों में ही देवें और ध्यान रखें खाद बीज एक साथ मिलाकर बोनी न करें।

जैविक खाद : असिंचित दशा में , 1.5 टन नाडेप खाद एवं 800 ग्राम पी.एस. बी. या 2 टन कम्पोस्ट एवं 800 ग्राम पी.एस. बी. और सिंचित दशा में 2 टन नाडेप खाद एवं 1.20 किलो पी.एस. बी. कल्चर अथवा 1-2 टन वर्मीकम्पोस्ट एवं 1.20 किलो पी.एस. बी. कल्चर प्रति एकड़ देने से अच्छी उपज मिलती है।

सिंचाई : सामान्यतः चने की फसल में दो सिंचाई लगती है, पहली सिंचाई शाखा निकलने की अवस्था 40-45 दिन बाद तथा दूसरी सिंचाई घेंटियों में दाना भरने की अवस्था 60-65 दिन बाद करना चाहिए। यदि एक सिंचाई है तो फूल आने के पहले 40-45 दिन में सिंचाई करें।

अन्तर शस्य क्रियाएं : इसमें बोने के 20-25 दिन बाद एक बार डोरा चलाने से खरपतवार नष्ट हो जाते है और खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है साथ ही मिट्टी में वायु संचार अच्छा हो जाने से राइजोबियम बैक्टीरिया सक्रिय होकर अपना काम अच्छी तरह से कर पाते है।

पौध संरक्षण

कीट नियंत्रण : चना फसल का मुख्य कीट चने की इल्ली (हेलिकावर्पा आर्मीजेरा) है, जो 15-20 प्रतिशत हानि पहुँचाता है। यह कीट कोमल पत्तियाँ, फूल तथा फलियों में छेद कर दाने खाता है। इस कीट के प्रकोप को एकीकृत कीट प्रबंधन से रोका जा सकता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) योजना अंतर्गत
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा कृषकहित में प्रसारित

साप्ताहिक समय माया

कांग्रेस की तुलना में भाजपा क

भाजपा के भ्रष्ट मंत्री डुबो

अति आवश्यक है भ्रष्टों को चुनावों स

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव नवम्बर में होना है। जनता की कसौटी पर कौन खरा उतरेगा इसका फैसला नवम्बर 13 के अंत तक सामने होगा। स्वाभाविक है सत्ताधीश भाजपा के पास अब धन बल के साथ सत्ता और शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों की फौज भी है। वैसे भाजपा ने शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों को पिछले 5 वर्षों में उनकी अपेक्षाओं से ज्यादा वेतन भत्ते दिए है, जो स्वतंत्रता के बाद से अभी तक की किसी सरकार ने कभी नहीं दिए।

इस क्षेत्र में भाजपा ने जो सबसे बड़ी त्रुटि की है वह है कि शासकीय सेवाओं में जबकि हर विभाग में भारी संख्या में कर्मियों की आवश्यकता के विपरित 50 प्रतिशत भी लिपिक वर्गीय भर्ती नहीं की, दूसरी और दैनिक वेतन भोगियों का अधिकांश विभागों में नियमितीकरण का मुद्दा अभी भी कई विभागों में न केवल यथावत है वरन उद्यानिकी एवं वाणिकी विभाग में अधिकांश वेतन भोगियों जो शासकीय उद्यानों में कार्यरत है, उनका न केवल घोर शोषण किया जाकर उन्हें अभी तक रु. 100 प्रति दिन का वेतन भी 25-30 वर्षों की सतत सेवा के भी नहीं दिया जा रहा है वरन 10 घंटे दैनिक कार्य के उपरांत उन्हें उद्यान अधीक्षक साप्ताहिक अवकाश का वेतन काटने के साथ ही 10 रु. घंटे के हिसाब से वेतन दे रहे हैं। वह भी तीन चार माह के बाद मंत्री विजयवर्गीय को मोबाइल लगाया नहीं उठाने पर एसएमएस भी किया गया पर परिणाम सार्थक नहीं निकला। यह हाल अधिकांश शासकीय विभागों में दैनिक वेतन भोगियों का हो रहा है, लो.नि.वि., लोक स्वा.यांत्रिकीय, जल संसाधन, मत्स्य, कृषि, उद्यानिकी, पंचायत, शिक्षा, नर्मदा घाटी वि.प्रा., प्राधिकरणों, निगमों, पालिकाओं आदि अधिकांश विभागों से लेकर उपयंत्री और सहा. यंत्री का कार्य करते हुए भी न्यूनतम दैनिक मजदूरी पर कार्यरत है। जिनका भाजपा से 10 वर्ष पूर्व 2003 में नियमित करने का वायदा किया था जो अभी तक अधूरा है। इस प्रकार 15000 से ज्यादा कर्मचारी जो कि 25-30 वर्ष की सेवा देने सर्वोच्च न्यायालय से अपने पक्ष में निर्णय प्राप्त करने के बाद भी रु. 100-150 प्रतिदिन तक बिना आवश्यक साप्ताहिक छुट्टी प्राप्त कर रहे हैं।

शासकीय दैनिक वेतन भोगियों का नियमतीकरण पूर्णतः न किया जाना भाजपा के शासन का स्याह पहलू है। भाजपा के स्याह

बाबुलाल गौर, मंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास में जवाहर

लाल नेहरू शहरीय मिशन के अंतगर्त प्राधिकरणों, नगर निगमों, पालिकाओं के विकास के धन जो हजारों करोड़ रु. प्रतिवर्ष मिला कि बंदरबांट की कहानी का हिस्सा है। इंदौर-भोपाल के बीआरटीएस में सैकड़ों करोड़ के घोटाले हुए, फिर बसों की खरीद, सीवरेज लाइनों जिसमें अकेले इंदौर में ही 250 करोड़ रु. से ज्यादा स्वीकृत हुए। पूरे प्रदेश के नगर निगमों, पालिकाओं में बंदरबांट की क्या स्थति है, ये सभी अच्छी तरह जानते हैं।

जयंत मलैया, मंत्री जल संसाधन आवास और पर्यावरण के

भ्रष्टाचार में जल संसाधन मंत्रालय में हर वर्ष हजारों करोड़ रु. बांधों, नहरों के लिए स्वीकृत किए जाते हैं। लाखों हेक्टेयर में सिंचाई के दावे किए जाते है। इन्हीं का कारोबार है, पीथमपुर में मिक गैस जो युनियन कार्बाइड का वेस्टेज पिछले 26 वर्षों से निस्तारण के इंतजार में है जिसे जर्मनी की फर्मों ने नष्ट करने से मना कर दिया था उस पर रु. 200 करोड़ मिल रहे हैं। इसलिए उसे प्रदूषण मंडल से छुड़ाकर निगम को दे दिया गया जबकि पीथमपुर का रामकी के पास ने तो साधन हैं और न ही उसे नष्ट करने की व्यवस्था। इसके विपरित जो केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय का प्रधान सचिव इसको भारत में जलाने का विरोध कर रहा था उसने सेवानिवृत्ति के बाद उसी चटर्जी ने रामकी में नौकरी कर ली। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय से मप्र के मुख्यमंत्री कार्यालय तक में सेटिंग करके मिल के 3500 टन कचरे को पीथमपुर पहुंचाने की व्यवस्था कर दी। यह जयंत मलैया के भ्रष्टाचार का एक और नायाब नमूना है।

मप्र की सरकार में मुख्यमंत्री से ज्यादा विभागों के मंत्री **कैलाश विजयवर्गीय** के भ्रष्टाचार की बहुत कम सच्चाई सामने आई है, जबकि वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार, सूचना प्रोद्योगिकी

विज्ञान और टैक्नालाजी, सार्वजनिक उपक्रम उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ग्रामोद्योग, जैव विविधता एवं जैव प्रोद्योगिकी जितने भी प्रदेश भर में इंवेस्टर्स मीट संपन्न हुई उसमें इनके अंतगर्त मप्र औद्योगिक विकास इंदौर, ग्वालियर, भोपाल आदि में टेंटों, पांडालों से लेकर होटलों में ठहराने आदि के खर्चों में, यात्राओं में, खाने-पीने आदि के करोड़ों के भ्रष्टाचार किए गए। जमीनों के आवंटन शेडों, सड़कों के निर्माण, स्ट्रीट लाइट्स से लेकर नालीयों कालोनियों आदि में भी करोड़ों रु. के हेर-फेर किए जाते रहें। वैसे भी प्रदेश भर के औद्योगिक विकास केन्द्रों में ऐसे भ्रष्टों की फौज वर्षों से कुडली मारे बैठी हुई है। ये भूखे भेड़िए न केवल वर्तमान उद्योगों से नोंच-खसोंट करती है वरन हर नए उद्योगपति को अपनी नोंच-खसोट से त्रस्त कर देती है कि 50 प्रतिशत उद्योगपति यहां से भाग जाते हैं। जिसके यथार्थ की कहानी हर इंवेस्टर्स मीट के पहले और बाद में छपती रहती हैं। दैनिक समाचार पत्रों में सूचना प्रोद्योगिकी के नाम पर भी अरबों रु. का आवंटन केन्द्र और राज्य सरकार दोनों का ही था जिसमें शासकीय कार्यालयों में सभी कार्यों को कम्पयूटर पर करने, अधिकांश पत्राचार, सूचना के अधिकार की धारा के अंतर्गत सबकुछ ऑनलाइन करने से लेकर विभागों में उनके संचालन में कम्प्यूटर साफ्टवेयर्स के ठेकों को अधिकांश टाटा कंसलटेंसी को सौंप दिए गए और 50 प्रतिशत कमीशन डकार कर भी करोड़ों का चंदन और योजनाओं में पलीता लगाया गया। यही हाल विज्ञान और टैक्नालाजी, सार्वजकिन उपक्रमों, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामोद्योग,जैव विविधता जैव प्रौद्योगिकी आदि में कागज के खेतों में ही उन्नति की फसलें काटकर उपलब्धियों के आंकड़ों का उत्पादन किया गया। संभवतः रु. 1000 करोड़ से ज्यादा प्रति वर्ष बटोरा गया। इंदौर के पत्रिका समाचार पत्र ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और उनके खास सहयोगी विधायक रमेश मेंदोला के सभी प्रकार की गुंडागर्दी, जमीनों पर कब्जें आदि की अनेकों प्रकाशनों में विस्तृत खबरे जनता को उपलब्ध करवाई हैं जो इनके कुकर्मों और भ्रष्टाचार का शायद 0.0 प्रतिशत भी नहीं है।

सामा. न्याय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव के पास

मनरेगा का ही रु. 5000 करोड़ का बजट था। प्रदेश के 10 संभागों 50 जिलों, 476 नगरों, 342 तहसीलों के 313 विकास खंडों के 54900 गांवों के विकास के लिए गए गांव में मात्र रु. 10 लाख प्रति वर्ष के हिसाब से भी रु. 5490 करोड़ होते हैं। ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं जिसमें इंदिरा आवास, मु.म. आवास, राजीव गांधी जल संग्रहण मिशन, स्वर्ण जयंती रोजगार गारंटी योजना जैसी 40 से ज्यादा योजनाओं में सरकार हा की रु. 25000 करोड़ से ज्यादा का धन आता है। मात्र 10 से 20 प्रतिशत में भी रु. 5000 करोड़ से ज्यादा हजम करने का मौका रहता है।

सरताज सिंह, वन मंत्री जो विधायक बनने से पूर्व हजारों टन

लकड़ी अवैध तरीके से जंगलों से कटवाकर जिंदगी भर बिकवाते रहे अब वो ही उसके रक्षक बने बैठे है। फिर चोर चोरी से जाये हेराफेरी से न जाये। अब सीधा ही विश्व वन प्राणी संघ से जंगली जानवरों की सुरक्षा योजना, पानी की व्यवस्था में ही विश्व प्राणी निधी का डॉलर 2000 करोड़ अर्थात रु. 1 लाख 30 हजार करोड़ का 20 प्रतिशत मात्र रु. 2600 करोड़ तो बहुत छोटी सी बात है जबकि इस निधि का 1 प्रतिशत पैसा भी नीचे खर्च नहीं किया जाता ऊपर ही ऊपर सारा हजम कर लिया जाता है। जबकि वनों के विकास आदिवासियों के भोजन, वनग्रामों के विकास, विश्व खाद्य संगठन आदि का अंतराष्ट्रीय और राज्य का बजट भी दोनों हाथों से हजम किया गया। मंत्री सरताज सिंग का वन विभाग का पूरा स्टाफ वनकर्मी से लेकर, बीट गार्ड, रेंजर, वनमंडलाधिकारी, वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, प्रधान वन संरक्षक तक न केवल शासकीय धन की बंदरबांट वरन संपत्तियों वनोपज लकड़ी वन भूमि की बिक्री और उसकी बंदर बांट में ही अरबों रु. प्रतिमाह का खेल होता है। स्वाभाविक है मंत्री का भी हिस्सा मंत्री तक पहुंचा ही है।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा परिवार कल्याण व लोक स्वास्थ्य मंत्री

है, यहां पर भी केंद्र और राज्य को मिलाकर रु. 3000 करोड़ से ज्यादा बजट स्वा. विभाग की 84 योजनाओं में मिलने के साथ ही चारों तरफ निजी नर्सिंग होम्स, अस्पतालों, निजी चिकित्सा महाविद्यालयों आदि से अरबों रु. की आया होती है। ऊपर से ड्रग ट्रायल, खाद्य एवं औषधि विभाग उत्पादन बिक्री में भी भारी लेन-देन और कमीशखोरी होती हैं। वैसे भी स्वास्थ्य विभाग अपनी लूट, खरीदी आदि पूरे प्रदेश समाचार पत्रों में छाया रहता है, फिर 10 प्रतिशत केवल बजट की कमाई भी रु. 3000 करोड़ होती है।

कुंवर विजय शाह अपनी अश्लील वार्तालाप और भाषण के

लिए एक बार हटाये जाकर पुनः मंत्री बना दिये गये। आदिम जाति व अनु. जाति में भी उनके विकास के नाम पर रु. 1000 करोड़ से ज्यादा का बजट आता हैं। रु. 100 अरब से जिसमें और केन्द्र सरकार की छात्रवृत्ति अनु. जाति, जनजाति के विद्यार्थियों को ही बांट दी जाती है और उस का 10 से 20 प्रतिशत भ्रष्टाचार में ही जाता है। रु. 1000 करोड़ प्रति वर्ष की आय मंत्री, प्रधान सचिव, सचिव और आयुक्त मिलकर डकार जाते हैं।

जगदीश देवड़ा, मंत्री परिवहन व जेल मंत्री इस विभाग

के बाबू रमन धूलधोये और एआरटीओ सुनील तिवारी पर पड़े छापों से सिद्ध होता है कि परिवहन विभाग में प्रतिदिन अरबों रु. की पूरे प्रदेश भर में कमाई होती हैं, जिससे बसों के रूट परमिट जिसमें लाख रु. से रु. 5 लाख तक ऊपर से वसूले जाते थे। पूरे प्रदेश में के 51 जिलों में औसतन 500 बसों के परिमट जारी होते हैं दूसरी और जेलों में औसतन 1000 कैदी सजायता और आरोपियों के रूप में रहते है। प्रदेश की 250 से ज्यादा जेलों में औसतन 2 लाख कैदियों पर रु.451 भोजन के लिए और रु. 20 अन्य खर्चों के लिए आवंटन आता है। जिसमें खर्च रु. 5 से 8 खर्च किया जाता है बाकी सब हजम कर लिया जाता है। जबकि रु. 20 के दैनिक खर्च में से रु. 5 भी खर्च नहीं किया जाता है। रु. 52 से 55 प्रति दिन प्रति कैदी अब यदि 2 लाख कैदी रु. 50/- अर्थात रु. करोड़ प्रतिदिन कैदियों के नाम पर हजम कर जाते हैं। जिसके यथार्थ के उदाहरण गांधी, सोम कंवनर ज्वलंत उदाहरण है। तो देवड़ा का हिस्सा रु. 2 करोड़ प्रतिदिन परिवहन, रु. 50 लाख प्रतिदिन जैल विभाग से आता है।

अजय विश्नोई, मंत्री पशु पालन विभाग में रु. 2000

ा 10 वर्ष का शासन बेहतर पर

देंगे तीसरी पारी का स्वप्न

से बाहर करो, वरना 130 भी मुश्किल

पहलूओं में मंत्रियों को पूरी छूट देकर भारी भ्रष्टाचार किया जाना खनन माफियाओं को न केवल छूट देना वरन मुरैना के आईपीएस अधिकारी की मौत, रतलाम के खनन निरीक्षक की मौत, खनन माफियाओं और मंत्रियों के संबंधों को स्पष्ट करती है। दूसरी और भूमाफियाओं और कालोनाइजरों ने भी हर जिला मुख्यालयों से लेकर तहसील मुख्यालयों तक अपना जाल फैला कर प्रदेश भर में 10000 से ज्यादा अवैध कालोनियां काटकर तबियत से जनता को लूटा उसमें भी मुख्यमंत्री कार्यालय की मूक सहमति और खुलकर लेन-देन चला।

हालात यहां तक रहे कि ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर में ही 5000 से ज्यादा कालोनियां अवैध रूप से काटी गई, जिनमें न भू-परिवर्तन किया साथ ही अधिकांश कालोनाइजरों सरकारी भूमि, नजूल की भूमि, नदी-नालों, पहाड़ों, चरनोई आदि की भूमि पर कालोनीयां काट दी गई। इन सब पर पटवारियों, तहसीलदारों, एसडीएम,एडीएम और जिलाधीशों से लेकर ग्राम एवं नगर निवेश आदि के साथ मिलकर जिसमें क्षेत्रीय सरपंचों से लेकर पार्षदों, विधायकों, सांसदों की मिली भगत से अरबों रु. के लेनदेन का खेल हुआ। इन सबमें पिसी जनता। कालोनाइजरों ने लाखों लोगों का अपने छतके सपने से लेकर स्वर्ग के सपने दिखाकर हजारों करोड़ लूटे और प्रशासन से लेकर मंत्रियों तक ने अपने हिस्से डकार कर चुप्पी साध ली।

भाजपा सरकार के मंत्रियों में बाबुलाल गौर, जयंत मलैया, कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव, सरताज सिंह, नरोत्तम मिश्रा, विजय शाह, जगदीश देवड़ा, अजय विश्नोई, लक्ष्मीकांत शर्मा, नागेन्द्र सिंह, अर्चना चिटनीस, जगन्नाथ सिंह, रामकृष्ण कुसमारिया, गौरीशंकर चतुर्भुत बिसेन, तुकोजीराव पंवार, करण सिंह वर्मा, उमाशंकर गुप्ता, पारसचंद्र जैन, रंजना बघेल, राज्यमंत्रियों में नारायण सिंह कुशवाह, कन्हैयालाल अग्रवाल, हरिशंकर खटीक, देवसिंह सरियाम, बृजेन्द्र प्रताप सिंह, जय सिह, महेन्द्र हार्डिया, नाना भाऊ मोहोड़, मनोहर ऊंटवाल में से आधे से ज्यादा हजारों करोड़ के मालिक है। अधिकांश का पैसा जमीनों, कालेजों, बहुमंजिला इमारतों मे लगाया हुआ है। आखिर यह पैसा कहां से आया, स्वाभाविक था शासकीय योजनाओं में कर कदम पर भ्रष्टाचार किया गया।

उपभोक्ता संरक्षण मंत्री पद पर रहते हुए इन्होंने शासकीय उपभोक्ता भंडारों में बिकने वाले गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल आदि खुले बाजार में किस प्रकार काले बाजार में बिक रहा है। रु. 1 प्रति किलो के गेहूं में जान-बूझकर उपभोक्ता भंडार वाले 20 से 25 प्रश तक कचरा मिलाकर धन बटोर रहे हैं। दूसरी और पूरे प्रदेश बिकने वाले डीजल, पेट्रोल और गैस की बिक्री में ही मिलावट, कम तोलने, गैस को ब्लेक में बेचने के मामले में भी हर जिलाधिकारी पेट्रोल पंप, गैस, डीलरों से जो वसूली कर जो खूली छूट देते हैं। उससे प्रदेश की जनता की जेब से पेट्रोल, डीजल का पैसा तो पूरा जाता है पर मिलावटी डीजल, पेट्रोल से प्रतिदिन लगभग 5000 पेट्रोल पंपों पर अरबों की लूट होती है, बदले में महीना वसूली पैसा मंत्री जी के जेब में पहुंचता रहता है।

श्रीमती रंजना बघेल, (महिला एवं बाल विकास मंत्री) इस विभाग में महीला और बच्चों के विकास के नाम रु. 20,000 करोड़ से ज्यादा का धन आता है। जिसके अंतगर्त 78929 आंगनवाड़ियों जिनमें लगभग 48 लाख बच्चे पंजीकृत है, जिनका 90 प्रतिशत धन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता डकार जाती है। इसी प्रकार 753 एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम केन्द्रों पर भी 30 से 40 प्रश पैसे की बंदरबांट हो जाती है। इस प्रकार केन्द्र और राज्य की योजनाओं में प्राप्त धन का 50 प्रश हजम कर लिया जाता है। स्वाभाविक है कि रंजना बघेल को भी अरबों रु. का हिस्सा मिलता है।

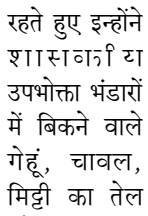

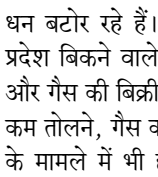

राजेन्द्र शुक्ल (राज्य मंत्री), ऊर्जा एंव खनिज साधन मंत्री ये भी भ्रष्टाचार में बहुत पहुंचे हुये हैं। 4 विद्युत वितरण कं., 1 पारेषण और 1 उत्पादन कं. में मची लूट में से मंत्रीजी प्रति माह मात्र रु. 10 अरब और पूरे प्रदेश में चल रहे अवैध उत्खनन जिसमें हीरों से लकर कोयला, लोहा, तांबा, अग्रक आदि से लेकर डोलोमाइट चूना और पत्थर, गिट्टी के अवैध कारोबार से रु. 1000 करोड़ तक प्रति माह विभिन्न माफिया संगठनों के साथ डकारते है। अनेकों प्रकरण सीबीआई में भी दर्ज होकर चल रहे हैं।

राज्यमंत्री नारायण सिंह कुशवाह, गृह परिवहन और जेल विभाग के राज्य मंत्री है। इन विभागों की खुरचन में भी अरबों रु. का खेल होता है।

राज्य मंत्री कन्हैयालाल अग्रवाल, सामान्य प्रशासन के नर्मदाघाटी विकासप्राधिकरण के मंत्री है। न.घा.वि.मं. में वर्तमान में ही लगभग रु. 1000 करोड़ से ज्यादा की परीयोजनायें जिनमें नहरे, उदवहन, सिंचाई परियोजनायें है, चल रही है। मंत्रीजी को विभाग से प्रतिवर्ष लगभग 1 अरब की आय की व्यवस्था रहती है। जिसमें राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति देने में ही प्रति उम्मीदवार रु. 1 करोड़ तक की आय होती है।

मंत्री हरीशंकर खटीक, राज्य आदिम एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के राज्य मंत्री के रूप में बैठकर ये भी उस आवंटन के जिसमें राज्य और केन्द्र का अनेकों योजनाओं में जो आवंटन आता है उसके 50 प्रश धन भ्रष्टाचार में हजमकर लिया जाता है। स्वाभाविक है कि राज्यमंत्री को उसका अरबों रु. का हिस्सा प्राप्त होता है।

करोड़ के बजट में से इस विभाग की अधिकांश उपलब्धियां कागजों पर सिमटी रहती है। 95 प्रश पशु चिकित्सक जहां नियुक्त होते हैं, उन गावों के पशु औषद्यालयों के महीनों ताले ही नहीं खुलते हैं जो वहां पर लगे जाले और आराम फरमाती मकड़िया उस चिकित्सालय की कहानी स्वयं कहती है। वैसे अन्य विश्नोई पूर्व में ये स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे तब भी इन्होंने भारी घोटाले किए थे। अभी इस विभाग में भी केन्द्रीय और राज्य की अनेकों योजनाओं का सारा कार्य कागजों पर ही संपन्न हो जाता है।

लक्ष्मीकांत शर्मा, मंत्री उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास संस्कृति, जनसंपर्क, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्त विभागों के मंत्री है। इन्होंने अपने काले धन से ही सिरोज में एक अवैध जमीन को अग्रवाल से लेकर एक टेक्नो युनिर्वसिटी खोली हैं। 99 प्रतिशत मप्र में चलने वाले इंजीनियरिंग कालेजों के पास न तो आवश्यक संसाधन है और न ही स्टॉफ इसके बाद भी सारे कालेजों में हर वर्ष 50,000 से ज्यादा विद्यार्थियों का इंजीनियरिंग की डिग्री रूपी कागज के टुकड़े सौंप कर अरबों रु. पालकों के बर्बाद किए जा रहे है। जन संपर्क में भी रु. 10000 करोड़ से ज्यादा की बंदरबांट में मंदिरों की संपत्ति और मंदिरों की आय डकारने में शर्मा जी की भूमिका अहम रहती है।

नागेन्द्र सिंह नागोद, मंत्री लोक निर्माण का पदभार संभाले नागोद जी को 5 वर्ष बाद भी ये मालूम नहीं होगा कि उनके विभाग में क्या कैसे हो रहा है। प्रदेश की सड़कों की हालात कैसी हैं। सारे बीओटी के ठेकों में टोल टैक्स वसूलने वाले है। बस वसूल कर जनता को क्या सुविधायें दे भी रहे हैं या नहीं। महाजालसाज भ्रष्ट डकैत विवेक अग्रवाल जो मप्र सड़क विकास निगम का प्र.सं. और विभागीय व अभी प्रधान सचिव का प्रभार संभाल चारों तरफ से लूट-पाट और बीओटी के 40 से ज्यादा ठेकेदारों से करोड़ों रु. का महीना डकार रहा हैं। मंत्री नागोद भले ही निहायत ढील-ढाले और सीधे-सीधे भ्रष्टाचार में लिप्त थे, परंतु इनकी आड़ में इनके रिश्तेदारों ने खूले भ्रष्टाचार किए।

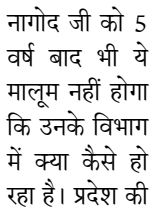

मंत्री अर्चना चिटनीस, रु. 5000 का रबर का गद्दा रु. 50000 से डेढ़ लाख में जापानी गद्दा बनाकर बैचने वाली ये जालसाज मंत्री ने स्कूली शिक्षा की केन्द्र व सरकार की निधि में करोड़ों रु. के घोटाले के आरोप हैं।

डॉ. रामकृष्ण कुसमारिया, मंत्री कृषि विकास एवं कृषक कल्याण विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग में जहां केन्द्र और राज्य का लगभग रु. 15000 रु. करोड़ से ज्यादा का बजट अधिकतम पैसा अनुदान बांटने के खेल में भारी बंदरबांट होती है। अरबो रु. की बंदरबांट से लूट-पाट में कुसमारियां भी मोटा हिस्सा डकारते हैं। दूसरी और खाद, बीज, दवाओं आदि की पूरे मप्र की खरीदी में भी करोड़ों रु. के कमीशन का लेन-देन होता हैं। कृषि को लाभ का धंधा बनाने का शिगुफा पूरा प्रदेश और देश में दिख ही रहा है।

गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, मंत्री लोक स्वास्थय यांत्रिकीय और सहकारिता दोनों ही विभागों में चारों तरफ भारी भ्रष्टाचार है। लोक स्वा. यां. विभाग में जल प्रबंधन के लिए केन्द्र और राज्य का कुल मिलाकर रु. 20000 करोड़ से ज्यादा का बजट मिलता है, जिसमें से 25 से 30 प्रतिशत तक का जो 500 से रु. 700 करोड़ हजम कर जाते हैं। ऊपर से नीचे तक, दूसरी ओर सहकारिता तो हर कदम साख, बैंकिग,ग्रामीण सहकारी समितियों, गृह निर्माण शासकीय और गैर शासकीय उत्पादक संस्थानों में दोनों हाथों से लूट में भी इसका हिस्सा रहता है।

तुकोजीराव पंवार, मंत्री पर्यटन और खेल व युवा कल्याण मंत्री भी अपने अय्याशीयों और मौज मस्ती के लिए कुख्यात रहे हैं। हाल-फिलहाल अभी बीमारी से स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। जहां तक पर्यटन और खेल व युवा कल्याण मंत्री विभाग में मची चारों तरफ लूट-पाट सिद्ध करती है।

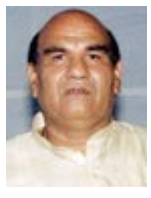

करण सिंह वर्मा, मंत्री राजस्व, पुनर्वास मंत्रालयों में पूरे प्रदेश में, तहसीलों, जिलों के जिलाधीश आदि से वसूली की जाती रही है। खनन, भूमाफियाओं की कहानियां रोज ही प्रदेश भर के अखबारों में छाई रहती है।

उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री के रहते हुए पूरे प्रदेशों में अपराधों की बाढ़ आई हुई है। अपराधों की बढ़ती संख्या से घबराकर मंत्री जी ने 100 नं. पुलिस का आपातकालीन नं. ही बंद करवा दिया हैं। बार-बार पिछले तीन-चार वर्षों समय माया की साइटों पर लिखने के बाद अब नं. लगने पर आउट ऑफ रेंज बता रहा है। प्रदेश भर में मे न केवल अपराधों, नशीली दवाओं, सट्टे का व्यापार और अपराधी खूब फले-फूले

राज्यमंत्री पारसचंद्र जैन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं

साप्ताहिक समय माया

मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर एंटी इवेजन ब्यूरो- शुद्ध वसूलीबाजों का गिरोह

ट्रांसपोर्टर्स, बसों से महीना वसूली आकस्मिक वालों से बाहर सौदेबाजी

महिला अधिकारियों द्वारा अवैध वसूली अड्डों पर दलालों की भीड़

मप्र वाणिज्य कर विभाग में अधिकांश कार्य ऑनलाइन किया जाने लगा है। जिसके घोर दुष्परिणाम भी सामने आने लगे है। अब टिन आवंटित व्यापारियों ने अपने जालसाजियों और कर चोरी के तरीके भी आधुनिक कर दिए है। अब वह टिन से फार्म 49 अपने ही कम्पयूटर से डाउनलोड कर कोई सा भी माल मंगा लेता है और समय पर कर भी शासन को नहीं देता है। पूरे देश में जैसे अधिकांश करों कार्य ऑनलाइन किया जा रहा है और कर चोरों को खुली छूट दी जा रही है, इसके पीछे बहुराष्ट्रीय कं. के इशारों पर जिस तरह से सरकारें नाच रही हैं और जिस तरह से जीएसटी लगाने के पीछे पड़ी है, पूर्ण तरह से पूरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बहुराष्ट्रीय कं. के हाथों में सौंपकर केवल कमीशन डकारे जाने की तैयारी है।

भले ही मप्र सरकार ने जीएसटी को लागू नहीं किया हो परंतु पूरा विभागीय कार्य इन्हीं की इच्छानुसार चलाया जा रहा है। व्यापारियों से कर दाताओं से विश्व की कोई सरकार 100 प्रश ईमानदारी कर वसूल नहीं कर पाती है तो भारत में ये उम्मीद करना कि भारत में 100 प्रश कर वसूली हो जायेगी संभव ही नहीं। इसके विपरित एंटी इवेजन ब्यूरो बनाकर मप्र वाणिज्य कर की वसूली की दरें मात्र 20 से 30 प्रश रह गई। वाणिज्य कर में चपरासी से लेकर कर आयुक्त को विभाग में कर वसूली के लिये ही बैठाया गया था। सन 2005 तक हर अधिकारी, कराधान सहायक, निरीक्षक, सहा. वाणिज्यक अधिकारी, कराधिकारी, सहा. आयुक्त, उपायुक्त सब ही अपने-अपने क्षेत्र में वाणिज्यकरों की वसूली के लिये व्यापारियों की जांच, उसका स्टॉफ उसकी पुस्तकों, बिलों की जांच करने का अधिकार और वाणिज्य की वसूली का अधिकार था, तब तो व्यापार कर चोरी कर लेता था, अब ये सारे अधिकार समाप्त कर अलग से जो एंटी इवेजन ब्यूरो बना दिया गया और चुन-चुन कर अधिकांश भ्रष्टों को बैठा दिया गया, जो अधिकांशतः पूवे से ही ऐतिहासिक रूप से अपने भ्रष्टाचार के प्रमाण हर कदम पर देते रहे है। पूरे प्रदेश की छह एंटी इवेजन विंग से जिसमें दो इंदौंर में एक सतना, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल में है।

सारी विंग्स की इकाइयां ट्रांसपोर्ट से महीना प्रति ट्रक रु. 5000 के हिसाब से और बसें इन जालसाजों के अड्डों रूपी डकेतों को भेजती रहती है। बसों पर माल लादकर भेजने की व्यवस्था पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक के बाद भी बसों पर माल लादने का कारोबार बंद नहीं हुआ हैं, और न कभी बंद होगा। ये पूरे प्रदेश की छह ब्यूरोज अपना महीना वसूली कर आंखे मूंद चुपचाप माल लदाई और ढुलाई चालू रहती है। दूसरी और इंदौर ए और बी विंग में महिला अधिकारी अल्का डामोर, प्रेतिमा करारी व अन्य का तो कारोबार ही सबसे अलग-अलग है। इन सबके वसूली के शहर में अलग-अलग अड्डे और दलाल हैं। ये सारी महिला अधिकारी अपनी ड्यूटी टाइम के अतिरिक्त भी सुबह 8-9 बजे से निकलकर 11-12 के बीच जितनी भी लोडिंग रिक्शा, ऑटो रिक्शा गाड़ियां पकड़ती है, उन्हें चमका धमका कर घेरना और माल के कच्चे-पक्के बिलों का माल का आंकलन करना, 5 गुना पेनाल्टी के लिये चमका-धमका कर रु. 2 से 10 हजार तक 4-5 लोगों से वसूली कर सारा पैसा हजम। वाणिज्यिक कर अधिकारी सिलावट के तो दस्तावेजी रिकार्डों की माल गोदाम में बकायदा वाहनों की प्रविष्टि करने के बाद जब वसूली पक्की हो गई तो रजिस्टर में से उसकी प्रविष्टि काट कर धन वसूली कर उसे छोड़ दिया जाता है। इन सबकी हमारे साथी पत्रकार दीपक जैन ने लिखित में शिकायत की थी। ये महिलायें, सांय काल से रात्रि तक भी इसी प्रकार वसूली कर रु. 10-20 से रु. 50 हजार तक वसूली कर हजम कर जाती है। जब वसूली के अवसर नहीं होते हैं तो इनके घरों के आसपास दलालों की भीड़ रहती है। महिलाओं के साथ जिन टैक्सियों का उपयोग किया जाता है उनके ड्रायवरों से इन तीनों महिलाओं की वास्तविकता ज्यादा बेहतर तरीके से मालूम की जा सकती है। दूसरी और लोकायुक्त वालों को लगातार इनकी शिकायत की जा रही है। आये दिन समाचार पत्रों में इनके भ्रष्टाचार वसूली का कहानियां छपती रहती है। परंतु इन पर लोकायुक्त छापा नहीं मारती क्योंकि उन्हें भी महीना मिलता रहता है, इसलिए वो इन पर छापा नहीं मारती।

इंदौर की दोनों ए और बी जहां भी छापा मारती है, वहां पर करोड़ों रु. की टैक्स चोरी पकड़ी जाती है, ता ये सारे जालसाजों की फौज उससे कुछ लाखों में वसूली कर, लेन-देनका मोटा समायोजन कर छोड़ देती है। हाल ही में चाय वालों पर आटो पार्टस, इलेक्ट्रानिक्स गुड्, तेल वालों पर छापे मारे थे। करोड़ों के टर्न ओवर होने पर रु. 5 लाख से लेकर अधिकतम रु. 20 लाख ही वसूले गये। प्रदेश की 30 जाचं चौकियों पर अब जबकि कैमरी आदि की व्यवस्थाएं भी हैं। इसके विपरित सारा काम आज भी दलालों और गुंडे बदमाशों की ठेकेदारी व्यवस्था सेंधवा जैसे बेरियरों पर पुलिस की मिली भगत के साथ चल ही रहा है। जिसको विभागीय भ्रष्ट रोकना भी नहीं चाहते। फिर एंटी इवेजन में बैठे अधिकांश स्टाफ को विभागीय कमाई से केवल इतना मतलब हैं, ताकि दिखता रहे कि ये काम कर रहे हैं, बाकि यहां बैठकर सभी अपनी व्यक्तिगत कमाई में ज्यादा विश्वास रखते हैं। फिर क्या मात्र पूरे मप्र 6 एंटी इवेजन ईकाइयां पूरे प्रदेश में वर्ष भर में हो रही रु. 5000 करोड़ से ज्यादा की चोरी रोक सकती है। भले ही बहुराष्ट्रीय कंपनी के इशारे पर नाचने वाली सरकारे इस बात को लेकर अपनी पीठ थपथपाती रहे कि उनकी परिवर्तनशील व्यवस्थाओं से सरकारी कर आय में वर्ष दर वर्ष बढ़ोत्तरी के मूल कारणों में सरकारी तेल कंपनियों के बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर मिलने वाली कर आय की बड़ी भूमिका है, दूसरी और बहुराष्ट्रीय कं. भी अपनी बिक्री 50प्रश से ज्यादा एक नंबर में कारोबार कर 50 प्रश पर जो बड़भ धनराशि चुकाती है। उससे भी आय बढ़ रही है, अन्यथा 5,00,000 से ज्यादा व्यापारी व्यापार करते हैं, परंतु वास्तविकता तो कुल बिक्री पर मात्र 20 से 30 प्रश ही चुकाते हैं। सरकारी नीतियां भी छोटे व्यापारियों को समाप्त करने की और बढ़ रही है, इसलिए वो जानबूझकर इन छोटे व्यापारियों को कर चोरी की पूरी छूट दे रहे हैं। कि कर लो अभी जो करना है, हम आंख मींच कर बैठे हैं, जो दे उसका भी भला और न दे उसका भी भला। जितना मर्जी हो ऑनलाइन जमाकर दो और चाहे तो आइटीआर में वसूली भी कर लो। आडिट विंग भी कोई खास काम नहीं कर पा रही है। आने वाले समय में न छोटे व्यापारी रहेंगे न ही उनके पीछे कर वसूली की झंझट करना पड़ेग। जीएसटी लगते ही भले ही राज्य सरकारों के केन्द्र सरकार दीवाले निकालने पर मजबूर कर वो सारी कंपनियों से मोटा लेन-देन कर दिल्ली में ही किसी भी बहाने छूट दे देगी इसलिए अब मप्र सरकार ने भी वर्षों से लिपिक वर्गीय स्टाफ की भर्ती करना ही बंद कर दी है। अब मात्र कराधान सहायक, निरीक्षक, सहा. वाणिज्यिक कर अधिकारियों की भर्ती कर रही है।

वर्तमान में एंटी इवेजन विंग्स के अतिरिक्त सभी अधिकारियों के सारे अधिकारी प्रतिबंधित कर रखे हैं। इसमें कर सलाहकारों की चांदी कट रही हैं। प्रदेश की 6 एंटी इवेजन इकाइयों में मात्र 200 अधिकारियों का स्टाफ भी नहीं है जो लगभग 5 लाख से ज्यादा व्यापारियों, 5 लाख से ज्यादा ट्रकों, 50000 से ज्यादा बसों, लोडिंग रिक्शा, मिनी ट्रकों पर कर चोरी को रोक सकें और तो स्वयं महीना डकार कर चोरी को प्रोत्साहित ही कर रहे है। साथ ही उपायुक्त सोनवलकर जैसे मुखिया ही टीम के तो अंदाजा लगाया जा सकता है जिन्होंने नियुक्ति से लेकर हर कदम, हर दिन, हर नियुक्ति में जिसे उसने धन खर्च प्राप्त किया हो, खुले में अरबों की टैक्स चोरी करवाकर रु. करोड़ों हजम किये हो तो वो एंटी इवेजन में क्या कर रहे होंगे।

चीन की सैन्य शक्ति पर जापानीयों को छूट आवश्यक

पेज 1 का शेष

साथ ही दक्षिण एशिया में जो उसका खास पिट्ठू पाकिस्तान था, उसने वह भ्रम भी न केवल तोड़ा वरन उसने पाकिस्तान को अपनी तरफ कर उसे न केवल सैन्य सहायता भी दी साथ ही उसके परमाणु हथियारों के कार्यक्रम में भी सहयोगी है। जिस अमेरिकी सहायता से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चलती है वही पाकिस्तान चाहे जब अमेरिका पर आंखे भीतेरता है, जिस पाकिस्तान को अमेरिका दक्षिण एशिया में खास सहयोगी समझता है वह अमेरिका को अमेरिका दक्षिण एशिया में खास सहयोगी समझता हैं, वह अमेरिका की अपेक्षा चीन के साथ न केवल सैन्य सहयोग करता है वरन उसने भारत को युद्ध में दोनों तरफ से नेस्तानाबूद करने के लिए न केवल करांची जैसे बंदरगाह पर चीन को सैन्य अड्डे के विस्तार को सुविधायें दे रही है वरन् चीन से करांची तक सड़क और रेलवे लाइन बिछाने तक के लिए सहयोग दे रहा है ताकि वह पश्चिमी एशिया से अपने व्यवसायिक और पेट्रोल आयात के रास्ते भी शुरू कर सके।चीन ने अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के चलते तिब्बत को अपना ही एक राज्य बना लिया। पिछले 60-65 वर्षों में उसने तिब्बत में विरोध के चलते 60 लाख से ज्यादा तिब्बतियों को मौत के घाट उतार दिया। इस पर अमेरिका भी उसके विरूद्ध सीधी कोई टिप्पणी नहीं कर पाया, न ही इस नरसंहार को रोकने के लिए कोई ठोस कदन उठा पाया यदि उसकी पाकिस्तान के करांची बंदरगाह तक सीधी सड़क और रेल लाइन बिछाई जाती है तो ये सबसे पहले अफगानिस्तान पर अमेरिकी वर्चस्व को समाप्त करने की पूरी कोशिश करेगा।

अमेरिका को समय बदलने के साथ ही जापानी सैन्य विस्तार प्रतिबंध को शीघ्रता से न केवल हटा देना चाहिए वरन उसके सैन्य विस्तारद में हर तरह का सहयोग कर चीनी सैन्य विस्तार को चुनौती देता है। उसका ऐतिहासिक शत्रु जापान के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में सहयोग कर चीनी सैन्य गतिविधियों पर जनर रखने, उसने चुनौती देने में भी सक्षम बनया जाना चाहिए। चीन उसका प्रशासन, उसकी सेना और जनता जापान का नाम सुनकर ही काफी डरती और घबराती है। यदि जापान सैन्य विस्तार कर अपनी जल, थल और नभ के साथ ही अंतरिक्ष में भी सैन्य विस्तार करने की इच्छा रखता हैं, तो उसकी इन इच्छाओं को सम्मान कर चीन को उसके पड़ोस में ही चुनौती देने की सक्षमता प्रदान करने से अमेरिका को भविष्य में बहुत लाभ मिलेगा। बेशक इसका लाभ वर्तमान और भविष्य में इसलिए मिलेगा कि वह अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के विस्तार की अपेक्षा पहले अपने अपने असतित्व को बचाए रखने के प्रयास में जापानीयों जैसे शत्रु से दो-दो हाथ करने में उसे अपनी ताकत ज्यादा झोंकनी पड़ेगी, जिससे चीन न केवल अमेरिका को चुनौती भी नहीं दे वरन उत्तरी पूर्ण भारत में जो उसकी 50-60 वर्षों से चल रही सैन्य गतिविधियों पर भी लगाम लगाने के लिए विवश होना पड़ेगा। जापानियों की राष्ट्रभक्ति, संघर्षशील प्रवृत्ति, जुझारू और विरले दर्जे का आत्म विश्वास युक्त लड़ाकूपन की दुनिया कायल है। उसे जल, थल और नभ सैन्य विस्तार की पूर्ण स्वतंत्रता मिलते ही वह कुछ ही वर्षों में पूर्ण सक्षम तरीके से चीनी सैन्य क्षमताओं को न केवल सामना करने वरन उसे महुं तोड़ जवाब देने में सक्षम हो गया तो चीनी भारत और अमेरिका को चुनौती देने की तो दूर, जापान को जवाब देने में ही उलझ जाएगा।

वैसे चीन उसके घर में ही चुनौती, उसकी जनता से ही मिल गई, परंतु भारत के नकारा, निकम्मे और भ्रष्ट शासकों से जिन्हें राष्ट्र को लूट कर खाने, बैचने और गिरवी रखने से ही फुर्सत नहीं है तो उनसे अपने शत्रुओं को उनके घर में ही नष्ट करने की उम्मीद ही करना बेकार है। परंतु जापान के साथ अमेरिका मिलकर इस कार्य को अंजाम दे सकते है। चूंकि चीन एक कम्युनिस्ट राष्ट्र है, वहां जनता की आवाज पिछले 65 वर्षों से लागातार कुचला जा रहा है। 1987 की ध्येनमन चौकी की क्रांति की ज्वाला अभी शांत नहीं हुई है। धीरे-धीरे वह ज्वालामुखी का रूप ले रही है। उस ज्वाला को एकत्रित कर उस ज्वालामुखी में थोड़े से प्रयासों के बाद विस्फोटित किया जा सकता है, फिर तिब्बती भी उसके विरुद्ध है। उधर ताईवान औश्र मंगोलियन भी चीन का अपने ऊपर प्रभुत्व नहीं चाहते हैं। चीन भले ही पाकिस्तान को कितना भी सहयोग करें, परंतु पाकिस्तानी मुस्लिम आतंकवाद चीन में पैर पसार रहा हैं, जिसके बारे में चीन पाकिस्तान से कई बार विरोध प्रकट कर चुका है, परंतु पाकिस्तानी हुक्मरानों और उसकी आईएसआई को इसस कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी और चीनी कंपनियों देशी-विदेशी सभी में वहां की जनता से प्रतिदिन 12 से 14 घंटे जानवरों की तरह काम लेने के तरीके से आंतरिक रूप से बहुत त्रस्त है, वहां पर अंतराष्ट्रीय श्रम कानूनों का न केवल घोर उल्लंघन हो रहा है वरन आंतरिक रूप से जानवरों की तरह काम लेने से वहां का श्रमिक भी छटपटा रहा है। इन सब तथ्यों का जापानी कंपनियां जो वहां अपने उत्पादन कार्यों में लगी है। आंतरिक रूप से धीरे-धीरे इसे हथियार बनाकर उपयोग करें तो कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस बीच अमेरिकी छूट से अगर जापान ने अपना आधुनिक जल, थल, नभ सेनाओं का विस्तार कर लिया और इन आंतरिक हथियारों को जो बारूद के ढेर के रूप में हैं, चिंगारी दिखा दी तो चीन क्या किसी को चुनौती देगा, उसे असतित्व बचाने के लिए हाथ पैर मारना पड़ंगे। चीन पर बाहरी आक्रमण करने से बेहतर उसे उसके अंदर ही उसे बर्बाद किया जाए। ऐसे में जापान अपनी आधुनिक सैन्य क्षमताओं के साथ आक्रमण दे, तो पुनः चीन को हथिया लेगा।

प्र.मं. कार्यालय लाखों करोड़ रु. के भ्रष्टाचार का अड्डा

पेज 1 का शेष

बजट में पूरी व्यवस्था इस तरह से की जाती है कि, ताकि उनकी वर्ष भर में लाखों करोड़ हजम करने की व्यवस्था हो जाये। हर बजट में जनहित की योजनायें लागू करने के पूर्व यह नियोजन किया जाता है कि उसमें उन्हें क्या लाभ होगा, तब ही सारी योजनायें लागू करने की तैयारी की जाती है। यदि हर बात की बारीकी से जांच की जाए तो मालूम पड़ेगा कि हर कार्य में षड़यंत्रों की भरमार है। हर कानून को बनाने लागू करने के पीछे भी यही कहानी हैं। 1970 के बाद बनाये गये अधिकांश कानूनों में स्वहित पहले देखा जाता है। यहां तक कि अधिकांश व्यावसायिक कानूनों का उद्देश्य भी पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की व्यवस्था पहले की गई। जैसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधि., मनरेगा सब पूंजीपतियों के लिये, पूंजीपतियों से मोटा कमीशन डकार कर भविष्य में अपना मोटा कमीशन डकारने के लिये ही बना गये। पूरा ढोंग जनहितों का किया गया,जबकि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधि. 1954 उनके ही लिये उनके इशारों पर समाप्त कर दिया गया, क्योंकि उसमें कीमतों पर नियंत्रण लगाने से लेकर मिलावटी, स्तरहीन, सड़ा गला होने पर सजा की व्यवस्थ थी जिसमें भारत में बड़ी कंपनियां आने में घबराती थी। जहां तक संसद में बैठे 542 सांसदों का सवाल है, सारे टुकड़खोर जालसाज है, वे जहां जनसेवा करने नहीं कमाने जाते हैं। सत्ताधीशों की जालसाजियां पकड़ी जाये इससे पहले ही उनकों मोटे टुकड़े डालकर उनका मुंह बंद कर दिया जाता है, तो सरकार की हा में हां कर ऐसे सभी कानूनों पर अंगुठा ऐसे ही लगा देते है।

पीथमपुर में साधन ही नहीं, यु.का. की मिक नष्ट करने हेतु

पेज 1 का शेष

सर्वोच्च न्यायालय ने युनियन कार्बाइड की जहरीली गैस मिक के 350 टन कचरे को जलाने की पीथमपुर अवशिष्ट निपटान केन्द्र में मंजूरी कैसे दे दी। जबकि यह मामला इस बात को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में वर्षों से लंबित था। आखिर समय माया द्वारा इस सच्चाई को प्रस्तुत करने के उपरांत यहां की जनता ने इस बात को समझा और इसके विरुद्ध आंदोलन करना नहीं उचित समझा दूसरी और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय प्रधान सचिव चटर्जी या बनर्जी ने वहां से सेवानिवृत होते ही क्यों रेमकी हैदराबाद में नौकरी कर ली ऊंचे वेतन पर। उसके नियुक्त होते ही उसने न केवल सर्वोच्च न्यायालय में उसी आदेश के विरुद्ध आदेश पारित करवा कर पीथमपुर में गैस नष्ट करने की अनुमति प्राप्त कर ली। जबकि उसी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ही मप्र सरकार ने उस गैस के 350 टन ठोस पदार्थ को नष्ट करने के लिए विश्व स्तर पर निविदायें बुलाकर नष्ट करने की तैयारी की थी जिसमें जर्मनी की किसी फर्म ने ठेका लेकर वापिस कर दिया था फिर अचानक क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही आदेश को पलटकर पुनः पीथमपुर में जलाने का आदेश दिया। जब इसके कारणों की तह में जाने पर मालूम पड़ा कि मामला 200 करोड़ रु. हजम करने का है, जिसमें सारा खेल वह केन्द्रीय मंत्रालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का सेवानिवृति प्राप्त सचिव बनर्जी/चटर्जी संभाल रहा है। उसने मप्र में भी इस कार्य से प्रदूषण मंडल को अलग कर दिया है और इस रु. 200 करोड़ में से रु. 50 करोड़ के टुकड़े चारों तरफ बांटकर सारी अनुमतियां खरीदी गई है। इसके उपरांत यह निश्चित हो गया कि यह कचरा पीथमपुर में ही चुप-चाप नष्ट किया जा रहा है और इस आचार संहिता की आड़ में खेल संपन्न कर रु. 200 करोड़ हजम कर लेगा रेमकी,जबकि यह घूर्त दक्षिण भारतीयों की कंपनी चारों तरफ अपनी जालसाज गतिविधियों के लिए कुख्यात हो चुकी है, असने इंदौर में भी नर्मदा तृतीय चरण की पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया हैं, जो हर महीने दो महीनों में फुटती रहती है।

इस अपशिष्ट निपटान केन्द्र के निर्माण के लिए 60 एकड़ जमीन पर रु. 25 करोड़ का संयंत्र स्थापित करना था जो जून 2005 में उदघाटित किया गया था। जिसमें रु. 8 करोड़ की केन्द्र के अनुदान पर निर्मित की गई थी, जब एकेवीएन इंदौर ने जमीन ही 20 एकड़ दी तो प्रोजेक्ट भी घट कर एक तिहाई रह गया। दूसरा प्रोजेक्ट का निर्माण स्थल भी पहाड़ी पर गांव के बीच में स्थापित किया गया जबकि न केवल उस दूर निर्जन स्थान पर बनाया जाना चाहिए था साथ ही उस पहाड़ी का बरसाती पानी बहकर चंबल नदी में जाकर मिलता है पर इन सबकों नजरअंदाज कर रु. 8 करोड़ में ही पूरा निपटान केन्द्र खड़ा कर दिया गया। अनेकों बार यहां के क्षेत्रीय प्रदूषण मंडल से उसके पूर्णताः प्रमाण पत्र की प्रतियां मांगी गईं जो अभी तक नहीं दी गई। जून 2005 को उदघाटन के और जनसुनवाई के समय श्री अजमेरा ने ये सारे प्रश्न उठाये थे, तब तात्कालीन क्ष. प्र. अहिरवार केन्द्र क्षे. का मप्र प्रदूषण मंडल धार ने श्री अजमेरा के हर प्रश्न पर हुज्जत की और हर बात पर झुंझला उठता था, क्योंकि उस रु. 8 करोड़ में भी उसका हिस्सा था। जैसा कि कहा गया था कि जितना इसमें प्रोजेक्ट को बढ़ाकर दिखाया जा रहा है। उसमें से 25 प्रतिशत काम भी नहीं किया जाएगा। वहीं हुआ इसकी सत्यता की पुष्टि उसकी जांच से किया जा सकता है। सर्वोच्च को इस निपटान केन्द्र के स्तर को अर्न्तराष्ट्रीय एजेंसियों से जांच कर देखना चाहिए कि क्या वह निपटान केन्द्र इस योग्य भी है कि 350 टन मिथाइल आइसोसायनेट को नष्ट किया जा सकता है। जब जर्मनी की फर्म ने इतना पैसा देने के बाद नष्ट करने से मना कर दिया था तो भारत में कैसे नष्ट किया जा रहा है। फिर 29 वर्ष के बाद भी न केवल सरकारी एजेंसियों वरना किसी निजी संस्था ने उस विषैले रसायन को नष्ट करने या साधारण पदार्थ में बदलने पर शोध क्यों नहीं किए। जबकि डीआरडीओ भी उस पदार्थ का सामरिक उपयोग में ले सकता था। उस त्रासदी पर राजनीति होते-होते, 29 वर्ष गुजर जाने के बाद उस विषैली गैस को नष्ट करने राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई खास काम नहीं किया गया। अब जब रु. 200 करोड़ का धन दिख रहा है, तो वही सचिव जो 10 वर्षों से उसे यहां नष्ट करने का विरोध कर रहा था। उसी कंपनी का हिस्सा बनते ही उसे इंदौर के पीथमपुर में नष्ट करने और पैसा डकारने की राह में अंधा बनकर उसे इंदौर की 30 लाख की आबादी और पीथमपुर की 1 लाख से ज्यादा और महू का सैन्य संस्थान नहीं दिखाई दे रहे। स्थानीय नेताओं, नगर निगम, जिलाधीश इंदौर-धार व सभी कल्याणकारी संघों को भी धन के लालच में चुप हैं।

करोड़ों डकारने के बाद भी हर छोट-छोटे काम में जालसाजियां

टैक्सीयों के नाम पर लगाते हैं लाखों का चूना

प्रति वर्ष रु. 2 से 3 लाख किराये में 3 वर्ष के किराये में तो पूरी गाड़ी ही खरीदें

मप्र शासन में वाहनों के नाम पर की जा रही लूट को रोकने के लिये किराये की टैक्सियों को विभागों में लगाना शुरू किया था, परंतु इस कार्यक्रम में भी सरकारी अधिकारियों ने लूट के तरीके खोज लिये। इसके लिए अधिकांश विभागों में वहीं के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने काले धन और भ्रष्टाचार की कमाई के धन से अपनी ही टैक्सियां अपने रिश्तेदारों और मिलने-जुलने वालों के नाम से खरीदकर लगाना शुरू कर दिया और शासन को स्पष्ट नियमों और परिपत्रों को बलाये ताक में रखकर मनमाने किराये पर है। टैक्सियां लगाना शुरू कर दिया और वाहन चालक भी विभागीय वेतन पर मिला ही था। उसेस उन टैक्सियों के नाम पर वसूली का तरीका निकाल लिया। सभी कार्य विभागों जिसमें ग्रामीण यांत्रिकीय, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, मप्र जल संसाधन आदि विभाग आते हैं, में 10 से 40 प्रश तके किराये के भुगतान में एक ही शहर में है, दूसरी और विभागों में टैक्सी कोटे में पंजीकृत वाहन ही लिया जायेगा। वाहन लेते समय अधिकतम 3 वर्ष से ज्यादा पुराना वाहन न हो, फिर वाहन लेने वाले की कुल वेतन आय के अनुपात और सीमा में ही वाहन किराये पर लिया जायेगा, जिसे समय माया ने 12 से 18 अगस्त 13 में प्रकाशित किया था, जिसका उद्देश्य ही था कि अधिकारीगणों की लूट प्रथा को बंद किया जाये।

इसके विपरित मप्र लोक निर्माण विभाग इंदौर, उज्जैन, मप्र लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, मप्र ग्रामीण यांत्रिकीय, मप्र जल संसाधन विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण आदि सभी को सूचना के अधिकार में इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिये पत्र दिये गये परंतु ये हरामखोर,जालसाजों की फौज कितनी मक्कार है और स्याना बनने की कोशिश करती है उसका अंदाजा इस बात से ही लग जाता है कि ये शकूरों की फौज जिसमें मप्र लोक स्वा. यांत्रिकीय विभाग का मुख्य अभियंता जो इंदौर में पदस्थ है, ये जालसाज तो श्री अजमेरा के पत्रों का जवाब देता ही नहीं है। जैसे इनके बाप की जागीर हो, जैसे ये लोक स्वा. यांत्रिकीय विभाग जिस कानून से इस हरामखोर को नियुक्तियां पदोन्नतियां मिली और जन, धन से ये सारे सुख-सुविधायें भोग रहे हैं। उस कानून को ये अपनी रखैल समझ कर उसका मजाक उड़ाते हुये न केवल जवाब नहीं देते वरन उस पर लगाई हुई तीन अपीलों को भी दी जाती है दूसरी और इस अकेले के पास तीन टैक्सियां इसने संभागीय अभियंता के नाम से किराये पर लेकर एक अपनी घरवाली के लिये, एक बेटी के लिये और एक स्वयं के कार्यालयीन उपयोग में लगा रखी है। इसलिए कैसे दे उनकी लॉग बुक और बिलों की छाया प्रतिलिपियां।

न.घा.वि.प्रा. निचली नर्मदा परियोजना में ये हराखोर पात्रता न होने के बाद भी एसडीओ का यं.अं.य. रु. 7.50 लाख से अधिक कीमत की गाड़ियां भी रु. 24000/- प्रति माह के किराये पर ले रखी है। जबकि वही बोलेरो व अन्य गाड़ियां इसी इंदौर में मप्र लोक निर्माण विभाग में वह न चालक के साथ भी रु. 15000/- से रु. 18000/- प्रति माह के किराये पर चल रही है। अर्थात रु. 6 से 3 हजार प्रतिमाह का भुगतान जबकि गाड़ियां अधिकांश स्टॉफ और उनके मिलने-जुलने वाले लोगों की ही हैं। टैक्सियां के निविदा प्रकाशन की प्रतिलिपियां भी मांगी गई थी परंतु उसकी भी प्रतियां नहीं दी गई। इसमें अधिकांश टैक्सियों पर टैक्सी परमिट नहीं मिला। एक टैक्सी जो शिव कन्या के नाम से प्रजीकृत होने और पता मंडलेश्वर जिला खरगोन का दिया हुआ है। परंतु गाड़ी इंदौर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से पंजीकृत है, इसके अनुसार इस मुख्य अभियंता कार्यालय में दो अधीक्षक यंत्री और 6 संभागीय यंत्रियों उसके 12-15 सहा.यं. या उप संभागीय यंत्रियों के लिये जो वाहन किराये पर लिये गये अधिकांश रु. 21 हजार से 24500/- प्रतिमाह तक के किराये पर लेकर न्यूनतम रु. 5000/- से रु. 10000/- प्रति माह प्रति वाहन शासन को चूना लगाया जा रहा है, जबकि अकेले निचली नर्मदा परियोजनाओं में रु. 1500 से रु. 2000 कारों के ठेके चल रहे है। यदि मुख्य अभियंता अजनारे के पास पाइप लाइन का 0.5 प्रतिशत भी आता है तो करोड़ो रु. मिलता है पर अधिकांश की ठेकेदार उपयंत्री से लेकर मुख्य अभियंता तक सबकी एक वेतन पूरा प्रति माह शुल्क देते हैं। जबकि इसी परिपत्र के बिंदू क्रमांक 4 में स्पष्ट लिखा है कि रु. 10000/- का ग्रेड को पाने वालों से रु. 67000/- से रु. 79000/- तक उच्च स्तरीय वेतनमान पाने वालो को भी वाहन की अधिकतम लागत रु. 7.50 लाख (एक्स शोरूम कीमत) होगी,इतना सबकुछ स्पष्ट होने के बाद भी जायलों, टाटा सूमों,बोलेरों से कम किसी भी अधिकारी को गाड़ियां पसंद नहीं आती। यदि इसको स्वीकार कर भी लिया जाये तो इसी इंदौर में ही न.घा.वि.प्रा. किराये पर वही गाड़ी रु. 21000 से 24500/- तक के किराये पर लेगा जबकि दूसरे कार्य विभाग तथा लोक निर्माण विभाग वही वाहन रु. 14500/- से रु. 18000/- में ले रहा है, जबकि दोनों की ही मासिक दरों में वाहन चालक का वेतन भी शामिल है, दूसरी और वाहन चालक जो विभागीय है यदि नियमित है तो किराये से ज्यादा उसक वाहन चालक का है और अधिकांश किराये पर लिये गये वाहनों को विभागीय वाहन चालक ही चला रहे है। साथ ही शासन के अंतगर्त वेतन प्राप्त वाहन चालक को ही रु. 1000-2000/-महीना वाहन मालिक ही भुगतान करता है, ताकि वाहन चालक उसकी शिकायत न करें। जब तक शिकायत नहीं होती वाहन चालक का वेतन जोड़कर ही पूरी टैक्सी का बिल भुगतान कर लेता है। अर्थात जालसाजी कहीं पर तो लाभ मिले। जैसा भी मौका मिला उसके तत्काल नगदी करने करने में अवश्य जुट जाते है। वैसे त्रिपुरा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण मुख्यालय से लेकर जबलपुर और इंदौर स्थित सभी मुख्य अभियंता अधीक्षण यंत्री संभागीय और सहा. यंत्री कार्यालयों में यंत्रीयों से लेकर चपरासी तक इतने मट्ठों के स्टाफ है। कई महिलायें तो दिन में एक बजे आकर 4 बजे चली जाती है। पूरे न.घा.वि.प्रा. में जबलपुर के दो प्रमुख अभियंता रानी अवंति बाई सागर परियोजना और दूसरा नहरों में बैठे सभी अधीक्षण यंत्रियों, इंदौर में निचली नर्मदा और सनावद में इंदिरा सागर नहरों के अंतगर्त आने वाले सभी अधीक्षण यंत्री और संभागीय कार्यालयों तक बैठी अधिकांश महिलायें 12 बजे आकर 4.30 से 5 बजे तक चली जाती है। कार्यालयों के आसपास रहने वाले स्टॉफ का भी यही हाल है अगर वो 11 बजे तक पहुंच भी गए तो 1 बजे से लंच के लिये निकलकर 3 बजे तक अधिकांश में ताले लगे रहते हैं। ठेकेदारों के बिल आदि का कार्य 4 बजे से शुरू होकर 6 बजे तके बीच ही संपन्न होता है। इन कार्यालयों में लगाई गई टैक्सियों में भी वहीं रु. 21000 से रु. 24500 तक कके ही बिल पास हो रहे हैं। इन टैक्सियों में कार्यालयीन कार्य के अतिरिक्त साहब की बीवी-बच्चों के लिये भी गाड़ीयों का इंतजाम रहता है। स्वच्छंद तरीके से घूमकर सरकारी पेट्रोल डीजल की लाखों रु. प्रतिमाह की बर्बादी की जाती है। इस विभाग में पदोन्नतियां, स्थानांतरण सबकुछ धन खर्च करने के बाद ही प्राप्त होता है। बिना खर्च किये कोई सा खां हो। निर्ष्कषापूर्ण तथ्य यह है कि ये यंत्रीगण करोड़ो रु. के घोटाले करने के बाद भी इनका भ्रष्टाचार से मन नहीं भरता और ये सारे हरामखोरों की फौज टैक्सियों में भी रु. 5 से 1000/- प्रति माह डकारते रहते हैं। न ही वरिष्ठ कुछ सुनना-देखना चाहते हैं, न ही मप्र महालेखाकार के अंकेक्षक अपना हिस्सा डकार लेते है। तो इनसे पूछताछ और जवाब देने के लिए कहते है।

मप्र लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार

शासकीय सड़कें सिविल कंस्ट्रक्शन का कार्य देखने वाली ये एजेंसी मप्र लोक निर्माण विभाग अपने भ्रष्टाचारों के लिये अंग्रेजों के समय से ही कुख्यात रही है। यहां के उपयंत्रियों से लेकर सहायक यंत्रियों, कार्यपालन यंत्रियों, अधीक्षण यंत्रियों, मुख्य अभियंता प्रमुख अभियंता आदि सब भ्रष्टाचार के इंजीनियर है। सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर पर ये हरामखोर जालसाजों की फौज पहले तो पत्र लेने में भारी नौटंकी करती है। बाबुओं ने यदि दो-चार जगह नहीं दौड़ाया तो कैसा लोक भ्रष्टाचार निर्माण विभाग। आवेदन स्वीकार करने के बाद उस पर पहले प्रयास होता है कि जानकारी न देने के लिए कौन-कौन सी चाले चली जा सकती है। उसमें सबसे पहली चाल होती है कि कुछ भी अंट-शंट हजारों पन्नों का लाखों रु. का फोटोकॉपी चार्ज बताओं ताकि पलटकर ही न देखें। फिर शास. विभाग वहां बैठे सहां. यंत्रियों, कार्यपालन यंत्रियों, प्रमुख अभियंताओं के बाप की जागीरे हैं। जवाब दिया तो दिया नहीं भी दिया तो कोई क्या बिगाड़ लेगा। यदि आवेदक थोड़ा समझदार हुआ तो वो अपील करेगा। अपील के बाद यहां बैठे बाबु से लेकर अधिकारी तक एक पत्र पुरानी तारीख में जारी कर साधारण डाक से पत्र भेज देंगे फिर अपील के सुनवाई में इन्हें मालूम है कि इनका वरिष्ठ इन्हें हर हाल में बचाकर अपील नस्तीबद्ध करवा देगा।

सूचना के अधिकार में एक पत्र मुख्य अभियंता कार्यालय को दिया गया था। चार बिंदूओ में से दो बिंदुओं की जानकारी दी गई दो बिन्दुओं के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई। दो बिंदूओं की जानकारी भी दी गई तो अधूरी ताकि इनके भ्रष्टाचार पर आंच न आये। टैक्सियों के नाम पर यहां भी मनमानी चल रही है। जानकारी में सबके पंजीयन प्रमाण पत्र मांगे गये थे वे इन हरामखोरों ने नहीं दिये। लॉग बुक की छायालिपि मांगी गई थी, उसके बारे में इन हरामखोरों ने कुछ भी नहीं लिखा,बिलों की कॉपी के बारे में न तो धारा 6(3) के अंतगर्त पत्र आंतरित किया न से स्वयं उपलब्ध करवा पाये। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये निकला की शिकायतों की जो प्रतियां मांगी गई थी इन हरामखोरों ने अधिकांश शिकायतकर्ता पत्रों में से शिकायत की मूल प्रतियां गायब थी दूसरी और शिकायतों को कैसे निपटाया जाता है। इससे यह मालूम पड़ता है कि केवल शिकायतों पर कवरिंग लेटर लगाकर यहां से वहां कर दिया जाता है अर्थात शिकायतें कितनी भी गंभीर हो उन्हें आसानी से कैसे टाला जाता है किसी पर कार्यवाही नहीं की जाती। पत्र चाहे प्रधान सचिव, प्रमुख अभियंता तक पहुंचे उसकी जांच के लिये उसी के पास भेज दिया जाता है जिसके विरुद्ध शिकायत की गई होती है और वो बड़ी आसानी से उसका जवाब देकर उसे फाइलों में बांधकर रखवा देता है। भ्रष्टाचार कितना भी गंभीर हो सब एक-दूसरे से लेन-देन से जुड़े होते हैं। सबको महीना पहुंचता है, सब एक-दूसरे को बचाने में लगे रहते है। चाहे रु. 15 लाख के ठेके के रु. 44 लाख का ही भुगतान क्यों न हों? प्रमुख अभियंता बहुत शयाने हैं। पर उनकी श्यानपत की कलई सूचना के अधिकार में स्पष्ट होती है।

साप्ताहिक समय माया

टी.वी. व समाचार पत्रों के विज्ञापनों की चकाचौंध और आकर्षण में न फंसे

ग्राहकों... त्योहारों की छूट में, फंसे न लूट में

सभी का उद्देश्य कमाई है, कोई लूटने नहीं, सभी लूटने के लिए बैठे हैं

पूरे भारत में त्योहारों की जोरदार खरीदारी की जा रही है, जो जितनी बड़ी कंपनी वह उतनी बड़ी लूटेरी। अगर जनता को नहीं लूट रही होती तो कैसे बड़ी बन जाती। अरबों रुपए के विज्ञापन देश की 800 से ज्यादा टीवी चैनलों पर 1 लाख से ज्यादा पूरे देशभर के समाचार पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन कैसे करती। ये सारे विज्ञापनों के खर्चे कहां से भुगतान किए जा रहे हैं। स्वभाविक है जनता की जेब से ही वसूले जा रहे है। टीवी, समाचार पत्रों के डिस्काउंट, 1 पर 3 मुफ्त, 0 प्रतिशत ब्यात, वर्ष भर की ईएमआई नहीं, ये सब विज्ञापनों को पढ़कर स्वाभाविक है, जनता आकर्षित होती है। जब ग्राहक बनकर पहुंचती है और पूछताछ करती है तब बहुत सारे रहस्य उजागर होते हैं। जैसे 50 प्रतिशत छूट का माल देखिए कि कीमत भी विक्रेता की, माल भी विक्रेता का, जो चाहे वो कीमत लिखे अर्थात तिगुनी कीमत लिखकर 50 प्रतिशत की छूट देकर फिर भी माल 150 प्रतिशत पर बेचा जा रहा है, अर्थात ग्राहक की जेब से 50 से 90 प्रतिशत ज्यादा लिया जा रहा है, जबकि छूट के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि माल जो खाद्य पदार्थ था, उसकी उपयोग अवधि को समाप्त हुए ही महीनों गुजर गए हैं। चलन से बाहर हो गया, फैशन चला गया, उससे बेहतर वही वस्तु बाजार में उपलब्ध है उसी कीमत में जैसे मोबाइल फोन, घड़िया, इलेक्ट्रानिक्स गुड्स, कैमरे, टीवी, कम्प्यूटर सामग्री लेपटॉप आदि इसमें वस्त्रों जीन्स, टी-शर्ट, साड़ियां, जूते, शर्ट, बेल्ट व अन्य सामग्री जो चलन से बाहर हो जाने के कारण नहीं बिक रही है तो 50 प्रतिशत डिस्काउंट, 1 पर 1,2,3 मुफ्त आदि। स्वर्णाभूषणों में 24 कैरेट गोल्ड जो बिलकुल संभव नहीं क्योंकि 24 कैरेट स्वर्णाभूषण बन ही नहीं सकते यथार्थ में 10 से 20 कैरेट के ही स्वर्णाभूषण बेचते हैं। सबसे ज्यादा लूट, जालसाजी और मिलावट पूरे विश्व में रत्नों और स्वर्णाभूषणों, प्लेटिनम, रजत के आभूषणों में ही की जाती है। स्वर्ण, रजत, मुद्राओं जो कि उपहार स्वरूप खरीदे जाते हैं, कई बार पूर्णतः स्वर्ण और रजतहीन होकर पीतल और जस्तों के सिक्कों पर स्वर्ण और रजत की 1 से 2 प्रतिशत की प्लेटिंग कर ही सैकड़ों वर्षों से बेचे जा रहे है और ग्राहक ठगाये जा रहे है। सरकारी एजेंसियां आईएसआई और आईएसओ, बीएसआई नियमन एजेंसियों के दावे महीने की चंदी पर बिकते हैं और लाखों रु. हजम कर ऐसे स्वर्णाभूषणों पर स्तर की नाप लगा दी जाती है, जबकि सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर इन एजेंसियों द्वारा न केवल जानकारी नहीं दी जाती वरन वहीं बैठे छोटे कर्मचारी अपने अधिकारियों की मोटे व्यापारियों से गठजोड़ और मोटी रिश्वत की बात बता देते हैं। अकेले इंदौर के सराफे में बैठे 100 से ज्यादा व्यापारी जो रत्नों, स्वर्णाभूषणोंपर वापसी पर पूरी कीमत लौटाने का दम भरते हैं। इस गणित को जानते हैं कि एक बार माल बिकने के बाद मुश्किल से ही ग्राहक जो 5 से 10 प्रतिशत स्वर्णाभूषण लौटाता है, यह सिद्ध कर पाता है कि ये माल उसी के यहां का है, यदि 5 से 10 प्रतिशत माल वापिस अपनी साख बचाने के लिए खरीद भी लिया गया तो 90 प्रतिशत पर तो 30 से 70 प्रतिशत धन कमाया ही है।

सराफा व्यवसायियों और सुनारों का इतिहास गवाह है कि वो सफेदपोश कभी ईमानदार नहीं रहें और ग्राहक पूरी कीमत चुकाकर केवल झूठे विश्वास के सहारे ही रत्न और स्वर्णाभूषण खरीदता हैं, जिस पर सरकार या उसकी एजेंसियों का कोई ठोस नियंत्रण नहीं रहा, दूसरी और रत्नों का व्यापार भी भारी जालसाजियों और ठगी का व्यवसाय है। हर रत्न का हूबहू वैसे ही अनेकों पत्थर पृथ्वी के गर्भ में न केवल पाए जाते हैं साथ ही रसायनों से भी तैयार किए जाने लगे हैं। जैसे हीरा न केवल कीमती और दूर्लभ की श्रैणी में है पर वैसे ही अमेरिकी हीरा जो रु. 1 प्रति कैरेट से भी कम में मिलता है, भी टिकाने से बाज नहीं आते वही हाल पुखराज, माणिक, पन्ना, नीलम का भी है। मोती की खेती भी न केवल जापान में वरन भारत में भी होने लगी है। फिर मोती की भी सैकड़ों किस्में होती है। जिसमें आसानी से ठगी की जाती है।

वर्तमान में अधिकांश मीडिया हाउसेज जिसमें श्रव्य और दृष्य दोनों ही हैं वास्तविकता में बड़े-बड़े सफेदपोश माफिया बन चुके हैं, या जो भूमाफिया, कालोनी माफिया था वह अपने कुकर्मों को बचाने, वैध-अवैध जमीनों को हड़पकर कालोनियां काटने, बहुमंजिला इमारतें बनाकर फ्लैट बेचने, स्वर्ग के दिव्य स्वप्न दिखाकर क्रेता को नर्क में धकेलने में लगे हैं। भोपाल, इंदौर, रायपुर, उज्जैन, ग्वालियर व अन्य अनेकों शहरों में बड़ी कालोनियां काटने फ्लैट बेचने का धंधा कर रहे हैं, जिसमें सहारा राज समूह तो है ही साथ ही कालोनी भूमाफियाओं को पत्रिका जैसे समूह ने पहले खुलकर उनके दोष प्रकाशित किए जब के सब समर्पण कर उनकी शर्ते मानी और धन दिया तो अब उनके बड़े-बड़े विज्ञापन छाप कर त्योराहों पर उनकी कालोनियों में प्लाट और फ्लैटों के विज्ञापन छाप कर जनता को भ्रमित कर स्वर्ग के आशियाने बताकर नर्क में ढकेलने में लगे हैं।

यह तो स्वयं सिद्ध है कि हर कालोनी भूमाफिया, फ्लैट निर्माता अव्वल दर्जे का जालसाज, चालबाज, ठगोरा होता है। न केवल निजी क्षेत्र वरन नगर विकास प्राधिकरण, मप्र गृह निर्माण मंडल, नगर निगम जैसे शासकीय विभाग डकैतों और जालसाजों के अड्डे हैं। तो दूसरी कालोनीयां काटने, फ्लैट बैचने, प्लाट काटने, रो हाउसेस बनाने वाले तो किसानो को ठगकर कृषि भूमि हथियाने, सरकारी, नजूल की, वन विभाग की, नदी-नालों, तालाबों बांधों के जलग्रहण क्षेत्र की जमीनों, शहरों से लगी गांवों की चरनोई आदि की भूमि को हड़प कर ही बिना शासकीय दस्तावेजों, रजिस्ट्रीयां करवाए बिना ही भूखंड, रो हाउसेस, फ्लैट, बिना बिजली, पानी, सड़कों आदि की आधारभूत सुविधाओं को 0 प्रतिशत ब्याज, 1 वर्ष बाद किस्त, पानी तत्काल हाथ में, नर्क में इंद्रप्रस्थ के दिव्य स्वपनों के विज्ञापन टीवी और समाचार पत्रों में छपवाकर ग्राहकों को फांसकर विकास शुल्क, रखरखाव शुल्क, पानी, बिजली, सड़कों के नाम पर न केवल वसूली करते हैं, वरन विरोध करने, सुविधाएं मांगने पर मारने-पीटने, जान से मारने की धमकी देते हैं। अर्थात छत का सपना देखने वाले किसी प्रकार से यहों वहां से धन की व्यवस्था करके इनके चंगुल में फंस कर अपनी जिंदगी को बदहाल कर बैठता है, जबकि ग्राहकों को चाहिए कि इन हरामखोर, जालसाज, गुंडे, बदमाश, नेताओं, अपराधियों रूपी भूमाफियाओं के चंगुल में फंसने से पहले, चाहे फिर वो पत्रिका, नई दुनिया, भास्कर, राजग्रुप किसी की भी चल-अचल संपत्ति खरीदने का, बेचने का किसी का भी भला हो, जो यथार्थ में जालसाजों का झमेला ज्यादा होता है कि चकाचौंध में छूट, शून्य ब्याज आदि में फंसने से पूर्व हर बात को वैधानिक पहलुओं को देखने के बाद ही अपना धन विनियोजित करे, जहां आप अपना भूखंड, रो हाउस, फ्लैट लेने जा रहे हो, वहां के रहवासियों से वास्तविकता अवश्य जान ले, किसी भी निजी संस्था से गृह ऋण लेने की अपेक्षा राष्ट्रीयकृत बैंकों से हर पहलू की सूक्ष्म जांचों के बाद ही ऋण लें, ऋण लेने के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर से पहले हर शर्त का अध्ययन करें, उसके बाद ही कहीं छत का सपना पूरा करें अन्यथा धन भी जाये, छत भी हाथ न आये, माथे पर कर्ज की परेशानी बढ़ जाये।वर्तमान में मप्र के 5 बड़े शहरों इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन में ही 5000 से ज्यादा कालोनीयों का यही हाल है। ऐसे सभी भूमाफिया शासन-प्रशासन, पुलिस को खरीदकर ही जनता को लूट रहे हैं। आपके फंस जाने के बाद मदद मुश्किल से ही मिलती है।

अर्थात त्योराहों की खरीदारी अवश्य कीजिए, परंतु लूट, छूट, मुफ्त, शून्य ब्याज आदि के विज्ञापनों की वास्तविकता जानकर, भीड़-भाड़ की अपेक्षा शांत माहौल में हर वस्तु ठोक, बजाकर अपनी उपयोगिता, आवश्यकता और उस तुलना में लागत, जेब की क्षमता के साथ ही भविष्य का आंकलन भी अवश्य करें।

सर्वोच्च न्यायालय की अच्छी पहल परंतु जातीय गत समीकरण बनेंगे

राइट टू रिजेक्ट के स्थान पर हो राइट टू रिकाल

भारत का लोकतंत्र संक्रमण काल से गुजर रहा हैं। 65 वर्ष की आजादी के बाद भी राष्ट्र की जनता अपने ही जिन सत्ताधीशों को चुन कर भेजती है, वे सत्ता में पहुंचते ही उसी जनता के हितों पर कुठारघात कर अपनी निजी संपत्तियों और येन-केन प्रकरण धन बटोरकर अपनी सात पीढ़ीयों की व्यवस्था करते हैं। साथ ही ये जब तक सत्ता में बिराजते हैं जनहीतों के नाम पर अपने हितों को साधने अपनी स्वार्थ पूर्ति की लिप्सा में न केवल जनता के वर्तमान वरन भावी पीढ़ियों के विनाश की गाथा लिखने से भी बाज नहीं आते, अब जनता के सामने चुनाव के समय जो विकल्प होते हैं, वह उन्हीं मे से ही किसी एक जो जो उनमें से ज्यादा अच्छा था न्यूनतम बुरा होता है। पर अपना मत देकर सत्ता में भेजती है। ऐसा समझा जाता है, यह सच केवल जनता के उस हिस्से का है जो शिक्षित, समझदार और न केवल निर्णय लेने में सक्षम है जो कुल जनसंख्या के 70 प्रतिशत होने के बाद भी अपने मताधिकार का केवल 30 प्रतिशत ही मतदान करते हैं। वही इस वोट रद्द करने के अधिकार का प्रयोग करेंगे उसकी नजर में हर उम्मीदवार में सैकड़ों तरह के खोट दिखेंगे और अंत में मतदान मशीन में रद्द करने का बटन दबा देगा, यथार्थ में 30 प्रतिशत वोट जो अनपढ़ ग्रामीण झुग्गी बस्ती और मुस्लिम वोट जो उनके धर्म गुरूओं के पुतवे से चलते है। उन्हें कौन से उम्मीदवार ने क्या सुविधाएं मतदान के लिए दी गई बदले में उन्हें चुनावी महोत्सव में उसके निशान पर 1 मिनट में वोटिंग का बटन दबा कर निकलना है। उन्हें इससे कदापि मतलब नहीं होता कि उम्मीदवार कैसा है, कौन सी पार्टी का है, उन मतदाताओं को मतलब होता है वोट देने के लिए किसने दारू पिलाई, भोजन करवाया, किसने ज्यादा नोट दिए, शराब-कबाब, नोटठ कोई सीधा सच्चा गरीब उम्मीदवार तो दे नहीं सकता। ये सब तो घूर्त, जालसाज, आपराधिक प्रवृत्ति के दो नं. के कालेधन वाले ही व्यवस्था कर सकते हैं। स्वाभाविक है कि ऐसे अपराधियों, कालेधन लुटाने वालों को ही सीधे कुल वोटिंग 15 से 20 प्रतिशत वोट भी मिल गए तो जीत पक्की, अर्थात सदन में फिर अपराधियों, भ्रष्टों की पहुंच बन जाएगी। दूसरी और आखिर रद्दीकरण के इस अधिकार से क्या निष्कर्ष निकालेगा चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय और सरकार। यह प्रयोग धर्मिता न्यायालय, चुनाव आयोग और सरकार को इसके उद्देश्यों में कितना सफल या असफल बनाएगी तत्काल टिप्पणी से बेहतर है कि जनता इस अवसर का कैसा नया उपयोग करती है, उस पर निर्भर करेगा।

शिक्षित वर्ग रिजेक्ट वोट करेगा- अशिक्षित और मुस्लिम एक तरफ वोटिंग करेंगे

सर्वोच्च न्यायालय के इस कदम से कालेधन वाले अपराधियों चालबाज, धूर्तों की जरूर उचक कर लग जाएगी क्योंकि शिक्षित वर्ग अगर वोटिंग करने गया भी तो वह इस तरह से अपने मत को कोई नहीं के विकल्प से बर्बाद करेगा तो स्थिति तो जस की तस ही रही, इस विकल्प से तो स्वच्छ उम्मीदवार का तो जीतने के अवसर ही समाप्त हो जाएंगे फिर भी आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के समय ही परिभाषित करेगा बेंहतर तरीके से। इसकी अपेक्षा बेहतर होता कि जो भी नेता चुनकर सत्ता के गलियारों में जनता पहुंचाती हैं, उस जनता को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वो बेहतर तरीके से जन समस्याएं दूर करने, सदन की उपस्थिति पक्ष या विपक्ष में बैठने के बाद सदन में उसका आचरण बना रहा। जनता के मुद्दों को उठाने और उन्हें दूर करने में उसकी भूमिका बना रही यदि सभी स्थानों पर असफल रहता है तो ऐसे चुने हुए उम्मीदवारों की कार्यशैली और कार्यक्षमताएं बना रही, यदि सभी स्थानों पर नकारात्मक प्रभाव ही रहा तो बेहतर है कि ऐसे विधायक, सांसद , पार्षद, पंच, सरपंचों को जनता के कहने पर वापिस बुला लिया जाएं, ताकि कार्यरत अन्य पार्षदों, विधायकों और सांसदों को इससे सीख मिल सके और भविष्य में ऐसे चुने हुए पार्षद, विधायक और सांसदों को तत्काल अपनी कार्य क्षमताओं और कार्यशैली में बदलाव लाना पड़े ताकि या तो वे सक्रिय रहे, अन्यथा उनकी निष्क्रियता के चलते उन्हें तत्काल हटा दें, इस संबंध में उन्हें मिले कुल मतों का 25 प्रतिशत व्यक्ति भी अगर लिखित में आवेदन दें तो तत्काल जनसभ बुलाकर उन्हें पदच्च्युत कर दिया जाए, यह कानून भारी क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा जैसा कि अन्य ग्राम पंचायतों में पंचों व सरपंचों को हटाकर किया जा रहा है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9074551045, इंदौर कार्यालय- 0731-2530859, मोबा. 9300755803